

Government of National Capital Territory of Delhi
(Law, Justice and Legislative Affairs Department)
8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110 002

No.F.14(19)/LA-02/2003/ 10/6

Dated: the 9 June, 2003

Notification

No.F.14(19)/LA-02/2003:- The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 1.6.2003 and is hereby published for general information.

The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 (Delhi Act No.6 of 2003) (as passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 7th April, 2003).

An Act to further amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

BE it enacted by the Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Act may be called the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date as the Lt. Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **General.** – In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) (hereinafter referred to as the "principal Act") for the words "rateable value" wherever they occur, the words "annual value" shall be substituted.

3. **Amendment of section 2.** – In the principal Act, in section 2 –

- (a) clause (1A) shall be renumbered as (1B) and before clause (1B) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(1A) "annual value" means the annual value of any vacant land or covered space of any building determined under section 116E;"

- (b) after clause (30), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(30A) "Municipal Taxation Tribunal" means the Municipal Taxation Tribunal constituted under section 169;"

"(30B) "Municipal Valuation Committee" means the Municipal Valuation Committee constituted under section 116;"

- (c) after clause (44), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(44A) "public utilities" include water-supply, sewerage and drainage, solid waste management, energy and telecommunication

services, gas distribution system, and public transport system, whether managed by Government or otherwise;"

(d) clause (47) shall be omitted;

(e) after clause (61), the following clause shall be inserted, namely :-

"(61A) "vacant land" means the land within a premises excluding the land occupied by the plinth of any building erected thereon."

4. Amendment of section 113. - In the principal Act, in section 113 after sub-section (3) the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation . - In this Chapter, "person" shall, unless the context otherwise requires, include a company, a society registered under any law for the time being in force, an association of individuals, a partnership, and a Hindu undivided family."

5. Substitution of new section for section 114. - In the principal Act, for section 114 the following section shall be substituted, namely :-

" 114. **Components of property tax.**- Save as otherwise provided in this Act, the property taxes shall be levied on lands and buildings in Delhi and shall consist of the following, namely:-



- (a) a building tax, and
- (b) a vacant land tax."

6. Insertion of new sections 114A, 114B, 114C, 114D, and 114E. - In the principal Act, after section 114 the following sections shall be inserted, namely :-

"114A. Building tax. - For any building, the building tax shall be equal to the rate of building tax as may be prescribed by the Corporation under section 114D multiplied by the annual value of the covered space of building determined under sub-section (1) of section 116E or section 116F."

114B. Rebate for senior citizens, women and physically challenged persons. - In the case of any self-occupied residential building singly owned by a man who is sixty-five years or more in age or by a woman

irrespective of her age or a physically challenged person as may be defined in the bye-laws, irrespective of age, or jointly owned by any of these categories, the Corporation may specify a rebate on the building tax not exceeding thirty *per cent* of the tax due on the covered space of such building upto one hundred square metres of the covered space:

Provided that such rebate shall not be available for more than one residential building within the jurisdiction of the National Capital Territory of Delhi.

114C. Vacant land tax. - The vacant land tax in respect of any premises shall be equal to the rate of vacant land tax as may be specified by the Corporation under section 114E multiplied by the annual value of the vacant land determined under sub-section (3) of section 116E:

Provided that where there is any construction on the land and the area of plinth of such building is in excess of such percentage of the area of the plot, as may be prescribed in the bye-laws, no vacant land tax shall be levied.

114D.. Rate of building tax. - Save as otherwise provided in this Act, the base rate of property tax on buildings in Delhi shall be between a minimum of six *per cent*, and a maximum of twenty *per cent*, of the annual values of such buildings as may be specified by the Corporation from time to time :

Provided that the Corporation may, at any time, prescribe fixed rates between the minimum and the maximum rates of tax as aforesaid for different colonies or for different groups of buildings in such colonies :

Provided further that the Corporation may also introduce graduated rates of tax within the minimum and the maximum rates of tax as aforesaid on the basis of straight line system or any other system as may be specified by the Corporation.



Explanation - "Straight line system" shall mean the system in which the rate of tax is equivalent to the annual value of a property (X) divided by the minimum annual value (X1) and Y being added to the quotient so arrived, Y being the difference between the maximum rate of tax and the quotient of maximum (X2) and minimum (X1) annual values.

114E. Rate of vacant land tax. - Save as otherwise provided in this Act, the rate of tax on vacant lands in Delhi shall be between a minimum of six *per cent*, and a maximum of twenty *per cent*, of the annual value of such lands as may be specified by the Corporation from time to time :

Provided that the Corporation may, at any time, specify fixed rates between the minimum and the maximum rates of tax as aforesaid for different colonies or for different groups of vacant lands in such colonies :

Provided further that the Corporation may also introduce graduated rates of tax within the minimum and the maximum rates of tax as aforesaid on the basis of straight line system or any other system as may be specified by the Corporation.



Explanation. - 'Straight line system' shall have the same meaning as in the *Explanation* to the second proviso to section 114D."

7.Substitution of new sections for section 115. - In the principal Act, for section 115, the following sections shall be substituted, namely:-

" 115. Exemption of vacant lands and buildings from property tax.-

(1) Save as otherwise provided in this Act, property tax shall be levied on all vacant lands and buildings in Delhi except -

- (i) vacant lands and buildings (other than dwelling houses) exclusively used for agricultural purposes in accordance with the guidelines prescribed in the bye-laws;

- (ii) any vacant land or building included in any village *abadi*, which is occupied for residential purpose by any original owner or his legal heir, subject to a maximum of one hundred square metres of covered space;
- (iii) vacant lands or buildings or portions thereof, exclusively used for the purpose of public worship;
- (iv) vacant land or buildings or portions thereof, exclusively occupied and used, with the approval of the Corporation, for the purpose of public charity as may be specified in the bye-laws or for the purpose of medical relief to, or education of, the poor, free of charge;
- (v) vacant lands or buildings exclusively used for the purpose of public burial or as cremation ground, or any other place used for the disposal of the dead, duly registered under this Act;
- (vi) such heritage lands or buildings as are specifically notified for exemption by the Corporation as also such premises as are so specified by the Archeological Survey of India;
- (vii) vacant lands and buildings owned exclusively by war widows, gallantry award winners in Defence Forces, Police and Para-military Forces as also civilians who have received bravery awards of the highest order from the Government including Annual Bravery Awards given by the President;



Provided that the exemption shall be subject to the condition that -

- (a) The premises in question is in self- occupation for residential use and no portion thereof is let out for any purpose, whatsoever;
- (b) In case the person concerned has more than one property in Delhi, the exemption shall be applicable to

only one property which is permanently used for self-residence;

(c) The benefit of exemption shall be limited to the life-time of the person concerned, except where the award has been granted posthumously, in which case the exemption will be granted to the widow of the gallantry award winner;

(viii) vacant lands and buildings owned by, or vested in, the Corporation but not leased out or rented out, and in respect of which the property tax, if levied, would, under the provisions of this Act, be leviable primarily on the Corporation.

Explanation .- For the purpose of clause (iii), no portion of any vacant land or building where any trade or business is carried on, or which is used for residential purpose, or in respect of which any rent or income is derived, shall be deemed not to be exclusively used for public worship and such portion of such vacant land or building shall be assessed as a separate unit of assessment.

(2) The Commissioner shall cause to be maintained a register showing separately the vacant lands and buildings exempted from the property tax under sub-section (1) in such form as may be specified by the Corporation, and such register shall be open to the public for inspection.

(3) The Corporation may levy on such vacant lands and covered space of buildings as are exempt from the property tax, service charge on such scale, as may be provided under this Act or as prescribed by the Corporation.

Provided that the service charge so levied shall not be less than seventy five *per cent* of the amount that would have been payable as property tax for the covered space of the building or the vacant land as referred to in section 114D or section 114E.

115 A .Unit of assessment. - (1) Every building and every vacant land shall be assessed as a single unit :

Provided that where portions of any building or vacant land are separately owned so as to be entirely independent and capable of separate enjoyment, notwithstanding the fact that



access to such separate portions is made through a common passage or a common stair case, as the case may be, such separately owned portions may be assessed separately.

- (2) All buildings, to the extent they are contiguous or are within the same cartilage or are on the same foundation and are owned by the same owner or co-owners as an undivided property, shall be treated as one unit for the purpose of assessment under this Act :

Provided that if any such building is sub-divided into separate shares which are not entirely independent and capable of separate enjoyment, the Commissioner may, on application from the owners or the co-owners, apportion the valuation and assessment of such building among the co-owners according to the value of their respective shares, treating the entire building as a single unit.

- (3) Each residential unit with its percentage of the undivided interest in the common areas and facilities, constructed or purchased and owned by, or under the control of, any housing co-operative society registered under any law regulating co-operative housing for the time being in force, shall be assessed separately.
- (4) Each apartment and its percentage of the undivided interest in the common areas and facilities in a building within the meaning of any law regulating apartment ownership for the time being in force, shall be assessed separately.
- (5) If the ownership of any vacant land or building or any portion thereof is sub-divided into separate shares, or if more than one adjoining vacant land or building or portion thereof comes under one ownership by amalgamation, the Commissioner may, on an application from the owner or the co-owners, as the case may be, separate, or amalgamate, as the case may be, such vacant land or



building or portion thereof so as to ensure conformity with the provisions of this section.

- (6) Notwithstanding any assessment made in respect of any vacant lands or buildings before the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, the Commissioner may, on his own or otherwise, amalgamate, or separate, or continue to assess, such vacant lands or buildings or portions thereof so as to ensure conformity with the provisions of this section.
- (7) The Commissioner shall, upon an application made in this behalf by an owner, lessee, sub-lessee, or occupier of any vacant land or building and upon payment of such fee as may be prescribed in the bye-laws, furnish to such owner, lessee, sub-lessee, or occupier, as the case may be, information regarding the apportionment of the property tax on such vacant land or building among the several occupiers of such vacant land or building for the current period of assessment or for any preceding period of assessment :



Provided that nothing in this sub-section shall prevent the Corporation from recovering the arrear dues on account of property tax from any such person, jointly or severally."

8. Substitution of new sections for section 116. – In the principal Act, for section 116 the following section shall be substituted, namely :-

" 116. Constitution of Municipal Valuation Committee.- (1) The Government shall as soon as may be after the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, and thereafter at the expiration of every third year, constitute by notification in the *Official Gazette*, a Municipal Valuation Committee.

(2) The Municipal Valuation Committee shall consist of -

- (a) a Chairperson, and
- (b) such other members, being not less than two and not more than six, as the Government may determine.

(3) The Chairperson and the other members of the Municipal Valuation Committee shall be appointed by the Government and the qualifications and experience requisite for their appointment, the manner of selection, and other terms and conditions of service including salaries and allowances, tenure of office shall be such as the Government may by rules determine.

(4) The salaries and allowances of the Chairperson and the other members of the Municipal Valuation Committee shall be paid from the Municipal Fund.

(5) The functions of the Municipal Valuation Committee shall be -



- (a) to make recommendations to the Corporation on matters relating to classification of vacant lands and buildings in any ward of Delhi into colonies and groups of lands and buildings and fixation of base value per unit area of vacant land or per unit area of covered space of building and factors for increase or decrease, or for no increase or decrease, thereof;
- (b) to consider objections under section 116C, and to make recommendation thereon; and

- (c) to perform such other functions as the Government may require.

116A. Classification of vacant lands and buildings into colonies and groups and specification of base unit area values therefor.- (1) The Municipal Valuation Committee shall recommend the classification of the vacant lands and buildings in any ward of Delhi, referred to in section 5, into colonies and groups of lands and buildings after taking into account the following parameters :-

- (a) settlement pattern such as plotted housing, group housing, colony with flats only, urban village, unauthorized colony, resettlement colony, rural village and non-residential areas;
- (b) availability of civic and social infrastructure;
- (c) access to roads;
- (d) access to district centres, local shopping centres, convenience shopping centres, and other markets;
- (e) land prices as may, from time to time, be notified by the Central Government or the Delhi Development Authority;
- (f) use-wise category of any building including residential building, business building, mercantile building, building for recreation and sports purposes, industrial building, hazardous building and public purpose building including educational, medical and such other institutional building and farmhouse, as may be specified by the Corporation;
- (g) in the case of buildings used for business, mercantile, recreation and sports, industrial, hazardous, storage or farmhouse purposes, the location of such buildings adjacent to such categories of streets, as may, subject to the provisions of sub-section (2), be specified by the Corporation;
- (h) the types of buildings which may be classified as *pucca*, *semi-pucca* or *katcha*, as may be specified by the Corporation;
- (i) the age-wise grouping of buildings as may be specified by the Corporation; and



(j) such other parameters as may be considered relevant by the Municipal Valuation Committee.

(2) The Municipal Valuation Committee shall recommend, groupwise, -

(a) the base unit area value of any owner-occupied vacant land, or any wholly owner-occupied building of *pucca* structure, constructed in the year 2000 or thereafter, and put to exclusive residential use, and

(b) the factor for increasing or decreasing, or for not increasing or decreasing, the base unit area values specified in clause (a), separately in respect of each of the parameters of type of colony, use, age, type of structure and occupancy status of the vacant land or building, as the case may be, subject to a lower limit of zero point five and upper limit of ten point zero.”.

116B. Notification of classification of vacant lands and buildings into colonies and groups and specification of base unit area values therefor and factors for increase or decrease.- (1) The Corporation shall, having regard to the recommendations of the Municipal Valuation Committee, declare its intention to classify vacant lands and buildings in each ward into such colonies and groups of lands and buildings as the Corporation may, by public notice, specify, and shall also specify in such public notice the base value it proposes to specify per unit area of vacant land and per unit area of covered space of building within each such group and also the factors for increasing or decreasing, or for not increasing or decreasing, the base unit area values of vacant lands and buildings referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 116A.

(2) The Corporation shall, on receipt of any representation from any group in any colony affected by such classification of lands or buildings into any group or specification of the base unit area values of vacant lands or covered space of buildings within such groups, and

the factors for increasing or decreasing, or for not increasing or decreasing, such unit area values of vacant lands or covered space of buildings, refer such representation to the Municipal Valuation Committee for reconsideration, and the decision of the Municipal Valuation Committee thereon shall, subject to the provisions of section 116K, be binding on the Corporation.

116C..Objection to classification of vacant lands and buildings into colonies and groups and fixation of base unit area values and factors for increasing or decreasing such base unit area values. -

(1) If any owner or occupier of any vacant land or building in any ward in respect of which a public notice has been issued under section 116B, has any objection to the manner of classification of any group or groups, or the base value per unit area of vacant land or the base value per unit area of covered space of building in any group, or the factors as specified in clause (b) of sub-section (2) of section 116A, he may submit to such officer of the Corporation as may be authorized by the Corporation in this behalf his objection in such form, and containing such particulars, as may be prescribed, within thirty days from the date of publication of such public notice, and such objection shall be considered by the Municipal Valuation Committee, after giving the person submitting the objection an opportunity of being heard.

(2) The procedure for hearing and disposal of objections shall be such as may be prescribed.

(3) On the expiry of thirty days from the date of publication of the public notice under section 116B and after considering the recommendation of the Municipal Valuation Committee on the objections, if any, in accordance with the provisions of this section, the Corporation shall, by public notice, specify groupwise the base unit area value of vacant land and the base unit area value of covered space of building and the factors referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 116 A;



Provided that the Corporation shall not alter the unit area values recommended by the Municipal Valuation Committee without the approval of the Government

116D. Final base unit area values of vacant land and of covered space of building. - (1) Subject to the provisions of section 169, the base unit area value of vacant land and the base unit area value of covered space of building in any group, as may be specified under sub-section (3) of section 116C, shall be final.

(2) The Corporation shall publish the final base unit area value of vacant land and the final base unit area value of covered space of building as aforesaid and the factors used for increasing or decreasing, or for not increasing or decreasing, the final base unit area values as aforesaid and shall make them available for inspection by any person free of charge. Copies thereof shall also be made available to any person on payment of cost

116E. Determination of annual value of covered space of building and of vacant land. - (1) The annual value of any covered space of building in any ward shall be the amount arrived at by multiplying the total area of such covered space of building by the final base unit area value of such covered space and the relevant factors as referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 116 A.



Explanation. - "covered space", in relation to a building, shall mean the total floor area in all the floor thereof, including the thickness of walls, and shall include the spaces of covered verandah and courtyard, gangway, garage, common service area, staircase, and balcony including any area projected beyond the plot boundary and such other space as may be prescribed.

(2) The Corporation may require the total area of the covered space of building as aforesaid to be certified by an architect registered under the Architects Act, 1972 (20 of

1972), or any licensed architect, subject to such conditions as may be prescribed.

- (3) The annual value of any vacant land in any ward shall be the amount arrived at by multiplying the total area of such vacant land by the final base unit area value of such land and the relevant factors as referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 116A.
- (4) If, in the case of any vacant land or covered space of building, any portion thereof is subject to different final base unit area values or is not self-occupied, the annual value of each such portion shall be computed separately, and the sum of such annual values shall be the annual

value for such vacant land or covered space of building, as the case may be.

116F. Determination of annual value of building where land is exempted from property tax. - Where any vacant land is exempted from property tax under any law for the time being in force, the annual value of any building erected on such land, which is in existence for more than one year and is not entitled to any exemption from such tax under this Act or any other law for the time being in force, shall be determined in accordance with the provisions of this chapter.

116G. Transitory provisions-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, a tax on vacant land or covered space of building or both, levied under this Act immediately before the date of coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, shall, on the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, be deemed to be the tax on such vacant land or covered space of building or both, levied under this Act as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act,



2003, and shall continue to be in force until such tax is revised in accordance with the provisions of this Act, as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), where assessment has not been finalized in respect of a vacant land or covered space of a building or both, on the date of the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, the assessee may have such land or building or both, as the case may be, assessed on the basis of the annual value.

116H. One-time tax. - Notwithstanding anything contained in this Act, in those cases where the owner has already paid one-time tax under some scheme in the past, the extent of the rateable value on the basis of which the one-time tax was paid shall be set off against the annual value calculated under the provisions of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 and the tax liability shall be worked out on the basis of net annual value.

116 I. Validity of base unit area values of vacant land and covered space of building. - The base unit area value of vacant land and the base unit area value of covered space of building in respect of a specified group in a ward shall remain in force for a period of three years :

Provided that till the revision of such base unit area values is completed, the existing base unit area values shall continue to be in force.

116J. Indexation of unit area value. - If, for any reason, the base unit area value of any vacant land, or the base unit area value of any covered space of building, in any group in any ward has not been revised on the completion of a period of three years from the date on which such base



unit area values were last determined, it shall be lawful to increase or decrease the base unit area values according to the changes in the consumer price index of urban non-manual workers or such other suitable index as the Government may determine till such revision is made by the Municipal Valuation Committee, and to realize the amount of property tax for such covered space of building or vacant land on the basis of the revised base unit area values.

116K. Hardship and Anomaly Committee. -(1) The Corporation shall, on the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, appoint, for such period, not exceeding one year, as the Corporation may think fit, a Hardship and Anomaly Committee with a view to considering the cases of hardships or anomalies, if any, in respect of property tax imposed under the provisions of this Act as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003.

(2) The Hardship and Anomaly Committee shall consist of a professional from areas of finance, taxation, law or municipal management, as the Chairperson and four other members of whom one shall be a councillor to be nominated by the Corporation, one shall be the chairperson of the Municipal Valuation Committee and one member shall be nominated from among the members of the Municipal Valuation Committee and one shall be the Additional Commissioner (Revenue) of the Corporation.

(3) The Hardship and Anomaly Committee shall make recommendations to the Corporation on the petitions received from any group of affected persons regarding any hardship or anomaly arising out of the property tax imposed, and the decision of the Corporation on such recommendation shall be final.

(4) The procedure for the functioning of the Hardship and Anomaly Committee shall be such as may be specified by the Corporation."

9 Amendment of section 119. - In the principal Act, in section 119 - (i) after proviso to sub-section (1), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation. - For the purposes of this section, property owned by a Government company or a statutory corporation, which has a corporate personality of its own, shall not be deemed to be the property of the Union."

(ii) sub-section (2) shall be omitted.

10. Substitution of new section for section 120. - In the principal Act, section 120 following section shall be substituted, namely :-

"120. Incidence of property tax. - (1)(a) The property tax on any land or building shall be primarily leviable upon the owner thereof.

(b) The liability of the several owners of any land or building constituting a single unit of assessment, which is, or purports to be, severally owned in parts including flats or rooms, for payment of property tax or any instalment thereof, payable during the period of such ownership, shall be joint and several :

Provided that the Commissioner may apportion the amount of property tax on such land or building among several co-owners :

Provided further that in any case where the Commissioner is, for reasons to be recorded in writing, satisfied that the owner is not traceable, the occupier of such land or building for the time being shall be liable for payment of the property tax and shall also be entitled to the rebate, if admissible.

(c) In the case of any land or building which is not self-occupied and where the owner is constrained by any law, order of the Government, or order of a court from recovering the tax due, such tax shall be recovered from the occupier or occupiers, as the case may be:

Provided that the owner shall continue to pay such amount of tax as he was liable to pay before the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 and only the balance amount, if any, shall be recovered from the occupier.



(d) The property tax on any land or building, which is the property of the Corporation and the possession of which has been delivered under any agreement or licensing arrangement, shall be leviable upon the transferee or the licensee, as the case may be.

(e) The property tax in respect of any land or building, being the property of the Union, the possession of which has been delivered in pursuance of section 20 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), shall be leviable upon the transferee.

(2) If any land has been let to a tenant for a term exceeding one year and such tenant has built upon such land, the property tax assessed in respect of such land and the building erected thereon shall be payable by such tenant, whether the land and the building are in the occupation of such tenant or a sub-tenant of such tenant.

Explanation. – For the purposes of this section, “tenant” shall include any person deriving title to the land or the building erected upon such land, from the tenant, whether by operation of law or by transfer *inter vivos*.”

11. Insertion of new sections 120A and 120B. – In the principal Act, after section 120, the following sections shall be inserted, namely:-

120A. Levy of service charge in slums and resettlement colonies.-

(1) The Corporation may, from time to time, levy on the aggregate area of land or covered space of building in any slum or any resettlement colony where no property tax is levied, a service charge of such amount, not exceeding the actual cost of providing the services as may be specified by the Corporation.



(2) The Corporation may, in the public interest, entrust the collection of the service charge as aforesaid to any organization of slum dwellers or residents of resettlement colonies recognized by the Corporation.

120B. Grant to group housing society, resident welfare association, market association or industrial estate. - Where any organized group of property owners and/or occupiers, such as group housing society, resident welfare association, market association, industrial estate, registered with the Corporation, provides on its own, with the approval of the Corporation, any of the civic services from among the obligatory functions of the Corporation, specified in section 42, within the area of jurisdiction of such group, the Corporation may give such grant to such group, as may be specified in the bye-laws, taking into account the services provided by such group:

Provided that such grant shall not exceed thirty five per cent of the amount collected as property tax from the lands and buildings within the area of jurisdiction of such group."

12. Omission of section 121. - In the principal Act, section 121 shall be omitted.

13. Insertion of new sections 123A, 123B, 123C, and 123D. - In the principal Act, after section 123, the following sections shall be inserted, namely:-



"123A Submission of returns. - (1) The Commissioner shall, with a view to determining the annual values of vacant land and covered space of building in any ward and the person primarily liable for the payment of property tax, by public notice, or by notice, in writing, require the owner and the occupier of such vacant land or covered space of building or any portion thereof, including such owner or the person computing the tax due under the provisions of section 123B, to furnish a return in such form as may be prescribed by bye-laws and within such time, not being less than thirty days from the date of publication of such notice, as may be specified therein, containing the following particulars, namely :-

- (a) the name of the owner and the occupier;
- (b) the number of the ward, the name of the colony, and the number and the sub-number of the premises of such vacant land or covered space of building, as the case may be;
- (c) whether the building is *pucca*, *semi-pucca* or *katcha*;
- (d) year of completion of construction of the building, or year or years of part construction thereof, as the case may be;
- (e) the use with reference to the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 116A to which such vacant land or covered space of building is put or intended to be put;
- (f) the area of the vacant land and the covered space of the building with break-up of the area under various uses;
- (g) whether wholly owner-occupied or wholly tenanted, or partly owner-occupied and partly tenanted, and the areas thereof; and
- (h) such other particulars as may be prescribed by bye-laws.



- (2)(a) Every owner and every occupier as aforesaid shall be bound to comply with such notice and to furnish a return with a declaration that the statement made therein is correct to the best of knowledge and belief of such owner and occupier.
- (b) Whoever omits to comply with such requisition, shall in addition to any penalty to which he may be liable, be precluded from objecting to any assessment made by the Commissioner in respect of such land or building.
- (3) The Commissioner or any person subordinate to him and duly authorized by him in this behalf, in writing, or any licensed architect, may, with or without giving any previous notice to the owner or the occupier of any land or building, enter upon, and make any inspection or survey, and take measurement of such

land or building with a view to verifying the statement made in the return for such land or building or for collecting the particulars referred to in sub-section (1) in respect of such land or building :

Provided that no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset.

123 B Self-assessment and submission of return. -(1)After the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, any owner of any vacant land or covered space of building or any other person liable to pay the property tax or any occupier in the absence of such owner or person, shall file a return of self assessment within sixty days of the coming into force of the aforesaid Act.

(2)Such owner or other person or occupier, as the case may be, shall, thereafter, file the annual return only in those cases where there is a change in the position as compared to the previous return, within three months after the end of the financial year in which the change in position has occurred.

(3)Any owner of any covered space of building or vacant land or any other person liable to pay the property tax, or any occupier in the absence of such owner or person shall compute the tax due under section 114A or section 114C, as the case may be, and pay the same in equated quarterly instalment by the 30th day of June, 30th day of September, 31st day of December and 31st day of March of the financial year for which tax is to be paid. In the event of tax being paid in one lumpsum for the financial year by the 30th day of June of the financial year, rebate of such percentage not exceeding fifteen percent, as may be notified by the Corporation, of the total tax amount due shall be allowed.

(4)Any owner of any vacant land or covered space of building or any other person liable to pay the property tax or any



occupier in the absence of such owner or person, who computes such property tax under this section, shall, on such computation, pay the property tax on such vacant land or covered space of building, as the case may be, together with interest, if any, payable under the provisions of this Act on -

- (a) any new building or existing building which has not been assessed; or
- (b) any existing building which has been redeveloped or substantially altered or improved after the last assessment, but has not been subjected to revision of assessment consequent upon such redevelopment or alteration or improvement, as the case may be.

(5) Such owner or person, as the case may be, shall furnish to the Commissioner a return of self-assessment in such form, and in such manner, as may be specified in the bye-laws and every such return shall be accompanied by proof of payment of property tax and interest, if any.

(6) In the case of any new building for which an occupancy certificate has been granted, or which has been occupied, after the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, such payment shall be made, and such return shall be furnished, within thirty days of the expiry of the quarter in which such occupancy certificate is granted or such building is occupied, whichever is earlier.

Explanation. - For the removal of doubt, it is hereby declared that occupancy certificate may be provisional or final and may be for the whole or any part of the building and occupancy may be of the whole or any part of the building.



(7) After the determination of the annual value of vacant land or covered space of building under section 116E or section 116F or revision thereof under section 123C has been made, any amount paid on self-assessment under this section shall be deemed to have been paid on account of such determination under this Act as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003.

(8) If any owner or other person as aforesaid, liable to pay the property tax under this Act, fails to pay the same together with interest thereon, if any, in accordance with the provisions of this section, he shall, without prejudice to any other action to which he may be subject, be deemed to be a defaulter in respect of such property tax, or interest, or both, remaining unpaid, and all the provisions of this Act applicable to such defaulter shall apply to him accordingly.

(9) If, after the assessment of the annual value of any land or covered space of building is finally made under this Act, the payment on self-assessment under this section is found to be less than that of the amount payable by the assessee, the assessee shall pay the difference within two months from the date of final assessment, failing which recovery shall be made in accordance with the provisions of this Act, but, after the final assessment, if it is found that the assessee has paid excess amount, such excess amount shall be refunded :



Provided that in any case where the amount of tax determined in the final assessment is more than the amount of tax paid under self assessment, and the difference in the amount of tax is, in the opinion of the Commissioner, the result of wilful suppression of facts as defined in the bye-laws, the Commissioner may levy a penalty not exceeding thirty *per cent* of such difference in the tax besides the interest thereon :

Provided further that the levy of such penalty shall be in addition to any other punishment provided for under this Act :

Provided also that the procedure for sending of notice, hearing of objection and determination of tax and penalties shall be such as may be specified in the bye-laws.

(10) Where no notice is sent by the Commissioner under section 123C within twelve months after the year to which such self-assessment relates, such self assessment shall be regarded as assessment made under this Act :

Provided that in any case, where there has been wilful suppression of facts, penalty upto thirty *per cent* of the tax due may be imposed :

Provided further that the procedure for sending of notice, hearing of objection and determination of tax and penalties shall be such as may be specified in the bye-laws.

123C. Revision of assessment. - (1) The Commissioner may cause any revision to be made at any time in the annual value of any vacant land or covered space of building or any portion thereof in the following cases, namely :-

- (i) where the nature of use changes; or
- (ii) where the nature of occupancy changes; or
- (iii) where a new building is erected or an existing building is redeveloped or substantially altered or improved during the period the annual value remains in force; or
- (iv) where, on an application made, in writing, by the owner or the person liable to pay the property tax, it is established that during the



period the annual value is in force, such value has been reduced by reason of any substantial demolition or has suffered depreciation on account of any accident or any calamity proved to the satisfaction of the Commissioner to have been beyond the control of such owner or person; or

(v) where any vacant land or covered space of building or portion thereof is acquired by purchase or otherwise by the Central Government or the Government or the Corporation; or

(vi) where any vacant land or covered space of building or portion thereof is sold or otherwise transferred to the Central Government or the Government or the Corporation; or

(vii) where, upon the acquisition or transfer of a part of any vacant land or covered space of building, a residual portion remains; or

(viii) where it becomes necessary so to do for any other reason to be recorded in writing.



(2) Before making any revision of the annual value under sub-section(1), the Commissioner shall give any owner, person or occupier as a case may be, affected by such revision, notice of not less than 30 days that he proposes to make the revision and consider any objections which may be made by such owner, person or occupier.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the annual value of any vacant land or covered space of building -

- (i) has not, for any reason, been determined under this Act, the annual value of such vacant land or covered space of building, as the case may be, may be determined by the Commissioner at any time during the currency of the period of assessment in respect of such vacant land or covered space of building under section 116E or section 116F, as the case may be; or
- (ii) has been cancelled on the ground of irregularity, the annual value of such vacant land or covered space of building, as the case may be, may be determined by the Commissioner at any time after such cancellation;

and such annual value of such vacant land or covered space of building, as the case may be, shall remain in force until a fresh valuation or revision is made.

- (4) Any revision of annual value of any vacant land or covered space of building or any portion thereof under this section shall be made with reference to the group into which such vacant land or covered space of building or part thereof is classified under section 116A, and the annual value fixed per unit area of such vacant land or covered space of building for that group shall be applicable.
- (5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, no revision of the annual value of any vacant land or covered space of building under this section shall be made without giving the owner or the



occupier of such vacant land or covered space of building a reasonable opportunity of being heard.

- (6) Where any revision of annual value of any vacant land or covered space of building is made under this section, the order of such revision shall be communicated to the owner or the occupier of such vacant land or covered space of building within ten days from the date of the order.
- (7) An appeal shall lie against an order under sub-section (6) to an officer appointed by the Government, if preferred by the owner, person or the occupier of such vacant land or covered space of building within forty-five days from the date of the receipt of the order.

123D. Power of Commissioner regarding assessment. -The Commissioner may, at any time -

- (a) make, *suo motu*, an assessment in any case where a return on the basis of self assessment has not been filed;
- (b) revise any assessment where the information furnished in the return of self assessment is found to be incorrect;
- (c) reopen any assessment even after the period of one year in any case where it has been detected that there is wilful suppression of information; and
- (d) impose a penalty not exceeding thirty *per cent* of the difference in tax arising from non-filing of a return in time, giving wrong information or wilful suppression of facts."



14. Substitution of section 124. – In the principal Act, for section 124, the following section shall be substituted, namely :-

“124 Municipal Assessment Book.- (1) The Corporation shall maintain a Municipal Assessment Book in such form, and in such manner, as may be specified in the bye-laws and shall make it available for inspection, free of charge, through electronic media or otherwise :

Provided that the Municipal Assessment Book shall not be kept pending for any case for which any objection or appeal has been filed.

- (2) The Commissioner may, at any time, amend the Municipal Assessment Book for such reasons as may be specified in the bye-laws:

Provided that no such amendment shall be made without giving any person affected a reasonable opportunity of being heard.”.

15. Substitution of new section for section 125. – In the principal Act, for section 125, the following section shall be substituted, namely:-

“125. Assignment of property identification code. –(1) The Corporation shall cause to be maintained a register wherein the property identification code numbers by which any premises or part thereof shall be known, shall be recorded in respect of each such premises in the municipal area and such numbers shall be fixed in such manner as may be specified in the bye-laws.

- (2) When the property identification code numbers in respect of premises in any ward of the Corporation have been determined, the Commissioner shall notify the same in such manner as may be prescribed in the bye-laws.

(3) After the property identification code numbers in respect of premises in any ward have been notified under sub-section (2), any person required under this Act or any other law to make any application to the Corporation for permission, licence or for payment of any tax or for payment of any dues for any service and for such other purposes as may be prescribed, shall at the time of making such application mentioned in the application, the property identification code number determined under sub-section(1)."

16. **Omission of section 126.** - In the principal Act, section 126 shall be omitted.

17. **Omission of section 127.** - In the principal Act, section 127 shall be omitted.

18. **Amendment of section 128.** - In the principal Act, in section 128, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :-

" (5) The Commissioner shall record every transfer or devolution or title notified to him under this section in his books and in the Municipal Assessment Book;



Provided that before recording such transfer or devolution of title, the Commissioner shall satisfy himself that any duty on transfer of property leviable under section 147 has been paid."

19. **Omission of section 131.**- In the principal Act, section 131 shall be omitted.

20. **Omission of section 132.**- In the principal Act, section 132 shall be omitted.

21. **Omission of section 133.**- In the principal Act, section 133 shall be omitted.

22. **Omission of section 134.**- In the principal Act, section 134 shall be omitted.

23. **Amendment of section 147.** - In the principal Act, in section 147, in sub-section(2), in the table below clause (b), after entry (v) of the table, the following entry shall be inserted, namely :-

"(vi) Contract for transfer of immovable property.

Ninety percent of the value of the consideration for the transfer as set out in the contract."

24.Substitution of new sections for section 152.- In the principal Act, for section

152, the following section shall be substituted, namely :-

"152 .Time and manner of payment of taxes.-(1) Save as otherwise provided in this Act, any tax levied under this Act shall be payable on such dates, in such number of instalments and in such manner as may be determined by bye-laws made in this behalf:

Provided that if, on the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, there is any increase in the amount of property tax which was being paid or was payable immediately before the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, the difference in the amount of property tax in excess of fifty *per cent* above the tax being paid or being payable, shall be given effect to by stages covering a period of three years by dividing the amount of such increase in the property tax by three, the quotient being added to the amount of property tax which was payable immediately before the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, and to the amount of property tax which shall be payable respectively in each of the remaining two successive years after such addition.

(2)Where any person liable for the payment of property tax under this Act has failed to pay -

(a) such tax by the date as specified in sub-section (3) of section 123 B; or

(b) the arrear of tax, interest and penalty, if any, and any other sum in the nature of tax up to the 31st March of the preceding financial year;

he shall be liable to pay simple interest at the rate of one *per cent* for every month or part of the month comprising the period from the expiry of the due date, till the amount is actually paid.



152 A Punishment for wilful default in payment of property tax, furnishing wrong information in return of assessment, etc. -

Whoever wilfully makes default in the payment of, or wilfully attempts in any manner whatsoever to evade, any tax, including amount of interest due and penalty levied under this Act, or furnishes any wrong information in the return of assessment, or wilfully fails to furnish in due time the return of property tax, or does not furnish information as asked for under any provision of this Act, he shall, without prejudice to any other penal provision under this Act to which he may be subject, be punishable, -

- (a) in the case where the amount of tax sought to be evaded exceeds ten lakh rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend up to seven years, and with fine of not less than fifty percent of the amount of tax evaded; and
- (b) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend up to three years, and with fine of not less than fifty percent of the amount of tax evaded:



Provided that the penalties so imposed shall be in addition to, and not in derogation of, any liability in respect of the payment of tax which the defaulter may have incurred."

25. Amendment of section 153. - In the principal Act, in section 153, in sub-section (1), the clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

“(a) property tax payable on self-assessment of vacant land or covered space in any building;”

26.. **Insertion of new section 156A.** – In the principal Act, after section 156, the following section shall be inserted, namely : -

“156A.Recovery of property tax.- If, after the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, any owner of any vacant land or covered space of building or any other person liable to pay the property tax or any occupier, in the absence of any such owner or person, does not file a return of self-assessment within sixty days of the coming into force of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003, or if the person liable for the payment of property tax does not pay the amount due within the due date, such sum together with all costs and penalty may be recovered under a warrant, issued in the form set forth in the Eighth Schedule, by distress and sale of the movable property, or the attachment and sale of the immovable property, of the defaulter :

Provided that the Commissioner shall not recover any sum the liability for which has been remitted on appeal under the provisions of this Act.”

27. **Omission of section 164.-** In the principal Act, section 164 shall be omitted.

28. **Omission of section 165.-** In the principal Act, section 165 shall be omitted.

29. **Omission of section 166.-** In the principal Act, section 166 shall be omitted.

30. **Omission of section 167.-** In the principal Act, section 167 shall be omitted.

31. **Omission of section 168.-** In the principal Act, section 168 shall be omitted.

32. **Substitution of new section 169.** – In the principal Act, for section 169, the following section shall be substituted , namely :-

“169.Appeal against assessment, etc. - (1)An appeal against the levy or assessment or revision of assessment of any tax



under this Act shall lie to the Municipal Taxation Tribunal constituted under this section :

Provided that the full amount of the property tax shall be paid before filing any appeal :

Provided further that the Municipal Taxation Tribunal may, with the approval of the District Judge of Delhi, also take up any case for which any appeal may be pending before the court of such District Judge.

Provided also that any appeal pending before the court of such District Judge shall be transferred to the Municipal Taxation Tribunal for disposal, if requested by the applicant for the settlement thereof on the basis of annual value.

(2) (a) The Government shall constitute a Municipal Taxation Tribunal consisting of a Chairperson and such other members as the Government may determine :

Provided that on the recommendation of the Government, the Chairperson may constitute one or more separate Benches, each Bench comprising two members, one of whom shall be a member of the Higher Judicial Service of a State or a Union territory and the other member from the higher administrative service, and may transfer to any such Bench any appeal for disposal or may withdraw from any Bench any appeal before it is finally disposed of.

(b) The Chairperson, and not less than half of the other members, of the Municipal Taxation Tribunal shall be persons who are or have been the members of the Higher Judicial Service of a State or a Union territory for a period of not less than five years, and the remaining members, if any, shall have such qualifications and experience as the Government may by rules determine.

(c) The Chairperson and the other members of the Municipal Taxation Tribunal shall be appointed by the



Government for a period of five years or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(d) The other terms and conditions of service of the Chairperson and the other members of the Municipal Taxation Tribunal, including salaries and allowances, shall be such as may be determined by rules by the Government.

(e) The salaries and allowances of the Chairperson and the other members of the Municipal Taxation Tribunal shall be paid from the Municipal Fund.

(3) In every appeal, the costs shall be in the discretion of the Municipal Taxation Tribunal or the bench thereof, if any.

(4) Costs awarded under this section to the Corporation shall be recoverable by the Corporation as an arrear of tax due from the appellant.

(5) If the Corporation fails to pay any costs awarded to an appellant within ten days from the date of the order for payment thereof, the Municipal Taxation Tribunal may order the Commissioner to pay the costs to the appellant."



33. Amendment of section 170. - In the principal Act, in section 170, in clause (a), in the proviso, for the word "court", the words "Municipal Taxation Tribunal" shall be substituted.

34. Amendment of section 171. - In the principal Act, in section 171, in the proviso, for the word "court", the words "Municipal Taxation Tribunal" shall be substituted.

35. **Insertion of new section 172 A.** – In the principal Act, after section 172, the following section shall be inserted, namely :-

“172A. Power to appoint an agency for administration of property tax. – (1) The Commissioner may, subject to such bye-laws as specified by the Corporation in this behalf, appoint any citizens' welfare association recognized by the Corporation, or any Scheduled bank, or any person or other agency to-

- (a) maintain the assessment book under section 124;
 - (b) collect tax and deposit the same with the Corporation; and
 - (c) carry out such other tasks as may be assigned to them by a resolution of the Standing Committee.
- (2) Such citizens' welfare association, bank or person, or other agency shall be paid such collection charges as may be authorized by such bye-laws as may be specified by the Corporation”.



36. Amendment of Twelfth Schedule.- In the principle Act, in the Twelfth Schedule -

(i) the entry with respect to section 131 shall be omitted, (ii) the entry with respect to section 168 shall be omitted.



(P.S. PARMAR),
Deputy Secretary (Law, Jus. & L.A.).

दिल्ली राजपत्र भाग - 4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
3 वां तल, सी - खण्ड, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली - 110002

संख्या : फा. 14(19)/वि.कार्य -02/2003/ 1014

दिनांक 9 जून, 2003

अधिसूचना

संख्या फा.14(19)/वि.कार्य-02/2003:- राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 1 जून, 2003 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :-

“दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम संख्या 6 वर्ष, 2003)”

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 7 अप्रैल, 2003 को यथा पारित)

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन के लिए एक अधिनियम

इसे भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जाए ।
(2) यह उस तारीख से लागू होगा जैसा उपराज्यपाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।
2. सामान्य:- दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (1957 का 66) (यहाँ बाद में “मूल अधिनियम” के रूप में उल्लिखित) में “दर योग्य मूल्य” शब्दों के जहाँ कहीं भी प्रयुक्त हुए हो उनके स्थान पर “वार्षिक मूल्य” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
3. धारा 2 का संशोधन :- मूल अधिनियम में धारा -2 में -

(क) (1क) को (1ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा खंड (1ख) से पूर्व जैसा संख्यांकित किया गया है निम्नलिखित खंड को सम्मिविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

“(1ख)” “वार्षिक मूल्य” का अर्थ है धारा 116 ई के अधीन निर्धारित किसी भवन का आच्छादित क्षेत्र या खाली भूमि का वार्षिक मूल्य”

(ख) खंड (30) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिविष्ट किए जाएंगे, अर्थात:-

“(30क)” “नगर कराधान न्यायाधिकरण” का अर्थ है धारा 169 के अधीन गठित नगर कराधान न्यायाधिकरण”

“(30ख)” “नगर मूल्यांकन समिति” का अर्थ है धारा 116 के अधीन गठित नगर “मूल्यांकन समिति”

(ग) खंड (44) के पश्चात निम्नलिखित सम्मिविष्ट किया अर्थात :-

“(44क)” सार्वजनिक उपयोगिताएँ” में जलापूर्ति सीवरेंज और जल निकास, ठोस मल प्रबंधन, ऊर्जा और दूर संचार सेवा, गैस वितरण प्रणाली तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली चाहे सरकार द्वारा हो या अन्य निकाय द्वारा सम्मिलित हैं”

(घ) खंड (47) को हटाया जाएगा;

(ड़) खंड (61) के पश्चात निम्नलिखित खंड सम्मिविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"(61क) "खाली भूमि" का अर्थ है, परिसर के अन्दर वह भूमि जो किसी भवन में बनाए गई कुरसी (प्लिन्थ) द्वारा अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त हो

4. धारा 113 का संशोधन:- मूल अधिनियम की धारा 113 में उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण सम्मिविष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

"स्पष्टीकरण:- इस अध्याय में "व्यक्ति" जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, में कोई कंपनी, सोसायटी सम्मिलित है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत हो, व्यक्तिगत संस्था, साझेदारी तथा हिन्दु अविभाज्य परिवार सम्मिलित है।"

5. धारा 114 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन:- मूल अधिनियम में धारा 114 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"114 संपत्ति कर के घटक:- संपत्ति कर में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात:-

(क) भवन कर तथा

(ख) खाली भूमि कर

6. नई धारा 114क, ख, 114ग, 114 घ तथा 114ड़ का सन्निवेशन:- मूल अधिनियम में धारा 114 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं सम्मिविष्ट की जाएगी, अर्थात:-

"114 क भवन कर:- किसी भी भवन के लिए भवन, भवन कर की दर के बराबर होगा जैसा धारा 116 ई या धारा 116 एफ की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य द्वारा गुणित धारा 114 डी के अधीन निगम द्वारा निर्धारित है।"

114 ख वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए छूट:- किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले आवासीय स्व अधिभोगित भवन के मामले में जो कि 65 वर्ष या इससे अधिक का है या किसी महिला के मामले में उसकी आयु सीमा नहीं है या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के मामले में जो निगम द्वारा या इन श्रेणियों में से किसी के द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति के मामले में निगम भवन कर पर छूट विनिर्दिष्ट कर सकता है जो आच्छादित क्षेत्र के 100 वर्ग मीटर तक ऐसे भवन के आच्छादित स्थल पर देय कर के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उपबंध है कि ऐसी छूट रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक आवासीय भवनों के लिए नहीं होगी।

114ग खाली भूमि कर :- किसी परिसर के संबंध में खाली भूमि कर धारा 116 ई की उपधारा (3) के अधीन निर्धारित खाली भूमि के वार्षिक मूल्य द्वारा गुणित धारा 114 ई के अधीन निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट खाली भूमि कर की दर के बराबर होगा ।

उपबंध है कि जहाँ भूमि पर निर्माण तथा ऐसे भवन का प्लिन्थ क्षेत्र उपविधियों में यथा निर्धारित भूखंड के क्षेत्र की प्रतिशतता से अधिक है वहाँ पर किसी प्रकार का खाली भूमि कर नहीं लगाया जाएगा ।

114 घ भवन कर की दर:- इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा को छोड़कर दिल्ली में भवनों पर संपत्ति कर की आधार दर न्यूनतम 6 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत होगा जो कि निगम द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य का होगा ।

उपबंध है कि निगम किसी भी समय इन कॉलोनियों में उपरोक्त विभिन्न कॉलोनियों या भवनों के विभिन्न समूहों के न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच किसी भी समय दर निश्चित कर सकता है ।

आगे उपबंध है कि निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सीधी पंक्ति प्रणाली या किसी भी अन्य प्रणाली के आधार पर उपरोक्त कर की न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच क्रमबद्ध दरें प्रारंभ कर सकता है ।

स्पष्टीकरण:- "सीधी पंक्ति प्रणाली" का अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें कर की दर संपत्ति के वार्षिक मूल्य (X) को न्यूनतम वार्षिक मूल्य से विभाजित करके (X1) और उस भागफल में Y को जोड़कर क्योंकि Y अधिकतम कर की दर और अधिकतम(X2) तथा न्यूनतम (X1) वार्षिक मूल्य के भागफल का अन्तर है ।

114ड खाली भूमि कर की दर:- इस अधिनियम में अन्यथा को छोड़कर दिल्ली में खाली भूमियों पर कर की दर समय-समय पर निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य के न्यूनतम 6 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत की बीच होगी :-

उपबंध है कि निगम किसी भी समय विभिन्न कॉलोनियों या ऐसी कॉलोनियों में खाली भूमि के विभिन्न समूहों के लिए उपरोक्तानुसार कर की न्यूनतम और अधिकतम कर की दरों के बीच दरें निश्चित कर सकता है;

आगे उपबंध है कि निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सीधी पंक्ति प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली के आधार पर उपरोक्त कर की न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच निगम क्रमबद्ध कर की दर प्रारंभ कर सकता है ।

व्याख्या :- "सीधी पंक्ति प्रणाली" का अर्थ वही होगा जो धारा 114घ के द्वितीय उपबंध के स्पष्टीकरण में है"

7. धारा 115 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन:-

मूल अधिनियम में धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"115 खाली भूमि और भवनों को संपत्तिकर से छूट:-

(1) इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा को छोड़कर दिल्ली में निम्नलिखित को छोड़कर सभी खाली भूमियों और भवनों पर संपत्ति कर लगाया जाएगा :-

(i) खाली भूमि और भवन (आवासीय घरों के अतिरिक्त) केवल कृषि उद्देश्यों के लिए उपविधियों में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रयुक्त हुई ।

(ii) कोई खाली भूमि या भवन जो किसी गाँव की आबादी में सम्मिलित है जो किसी मूल स्वामी या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा आच्छादित क्षेत्र के अधिकतम 100 वर्ग मीटर के अधीन आवासीय उद्देश्य के लिए अधिग्रहित है ।

(iii) खाली भूमि या भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक पूजा के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता हो,

(iv) खाली भूमि या भवन या उसका कोई भाग जो निगम के अनुमोदन से केवल सार्वजनिक धर्मार्थ जैसा कि उपविधियों विनिर्दिष्ट किया जायेगा या गरीबों को निःशुल्क शिक्षा या चिकित्सा राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अधिग्रहित तथा प्रयुक्त की गई है ।

(v) खाली भूमि या भवन जो केवल कब्रिस्तान या श्रमसाध्य भूमि या किसी अन्य स्थान इस अधिनियम के अधीन भली भंति पंजीकृत किसी मृतक के अंतिम संस्कार के लिए प्रयुक्त हो ।

(vi) किसी विरासत वाली भूमियों या भवन जो विशेष रूप से निगम द्वारा छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचित की गई हो या जिन वी परिसर जिसको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विनिर्दिष्ट किया है ।

(vii) खाली भूमि और भवन जो केवल युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएँ, रक्षा सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में वीरता पुरस्कार विजेता तथा वे नागरिक जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वार्षिक बहादुरी पुरस्कार

सम्मिलित है, सरकार से उच्चतम क्रम से वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है, जो उक्त के स्वामित्व में है ।

बशर्ते कि उपयुक्त छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें:-

(क) ये परिसर अपने रहने के लिए प्रयुक्त होता है और उसका कोई भी भाग किराये पर दिया गया है ।

(ख) उन मामलों में जहां व्यक्ति के पास एक से अधिक दिल्ली में सम्पत्ति है तो यह छूट केवल एक सम्पत्ति पर मिलेगी जिसमें वह स्वयं स्थायी रूप से रहता है ।

(ग) यह छूट व्यक्ति के जीते-जी मिलेगी सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनको अवार्ड मरणोपरान्त मिला है जिस स्थिति में छूट अवार्ड प्राप्त व्यक्ति की विधवा को मिलेगा ।

(viii) खाली भूमि और भवन जो संघ या सरकार के अधिभोग और प्रयोग की संपत्ति हैं तथा

स्पष्टीकरण-1 खंड (III) के उद्देश्य के लिए किसी की भूमि या भवन का भाग जहाँ किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जो आवासीय उद्देश्य के लिए प्रयुक्त है या जिसके संबंध में कोई किराया या आय प्राप्त होती है उसे केवल सार्वजनिक पूजा के लिए प्रयुक्त नहीं समझा जाएगा तथा ऐसी खाली भूमि या भवन के भाग को कर निर्धारण के पृथक इकाई के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।

(2) आयुक्त एक रजिस्टर का रखरखाव करवाएगा जिसमें पृथक रूप से उन खाली भूमियों और भवनों का उल्लेख होगा जिन्हें निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से उपधारा (1) के अधीन संपत्ति कर से छूट प्राप्त है तथा ऐसा रजिस्टर जनता के लिए निरीक्षण हेतु खुला रहेगा ।

(3) निगम संपत्ति कर से छूट प्राप्त ऐसी खाली भूमि और भवनों के आच्छादित क्षेत्र में उस सीमा तक सेवा प्रभार लगा सकता है जो इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित है या निगम द्वारा यथा निर्धारित

उपबंध है कि इस प्रकार लगाया गया सेवा प्रभार उस राशि के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा जो धारा 114 डी या 114 ई में उल्लिखित खाली भूमि या भवन के आच्छादित क्षेत्र के लिए संपत्ति कर के रूप में भुगतान योग्य होगा ।

115क-कर निर्धारण इकाई :-(1) प्रत्येक भवन और प्रत्येक खाली भूमि स्कल इकाई के रूप में निर्धारित की जाएगी ।

उपबंध है कि जहाँ किसी भवन या खाली भूमि के भाग पृथक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तथा पृथक रूप से मनोरंजन किए जाने के लिए सक्षम है । इस तथ्य के अन्यथा होते हुए भी कि ऐसे पृथक भागों के लिए पहुँच सामान्य रास्ते या सामान्य सीढ़ियों से हो सकता है कैसी भी स्थिति हो ऐसा पृथक स्वामित्व वाला भाग पृथक रूप से निर्धारित किया जा सकता है ।

- (2) समस्त भवन उस सीमा तक जहाँ तक वे सटे हुए या उपास्थि है या समान पर है तथा उसी स्वामी द्वारा या अविभक्त सम्पत्ति के रूप में सह स्वामियों के कब्जे में है उन्हें इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के उद्देश्यक के लिए एक इकाई के रूप में समझा जाएगा ।

उपबंध है कि यदि ऐसा भवन पृथक हिस्सों में उपविभाजित है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है तथा पृथक मनोरंजन के लिए सक्षम नहीं है, आयुक्त स्वामियों या सह-स्वामियों से आवेदन प्राप्त होने पर समस्त भवन को एकल इकाई मानते हुए उनके निजी हिस्सों के मूल्य के अनुसार सह स्वामियों के बीच ऐसे भवन का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकता है ।

- (3) प्रत्येक आवासीय इकाई सामान्य क्षेत्र और सुविधाओं में अविभक्त हिस्सा की प्रतिशतता में निर्मित या खरीदी गई तथा तत्समय प्रवृत्त सहकारी आवास को विनियमित करने वाली किसी विधि के अधीन पंजीकृत आवासीय सहकारी सांभेति के नियन्त्रण में है या अधीन है उसका पृथक रूप से कर निर्धारण किया जाएगा ।
- (4) तत्समय प्रवृत्त अपार्टमेंट स्वामित्व को विनियमित करने वाले किसी विधि के अर्थ में किसी भवन में सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित हिस्से की प्रतिशतता और प्रत्येक अपार्टमेंट को पृथक रूप से कर निर्धारित किया जाएगा ।
- (5) यदि किसी खाली भूमि या भवन या उसके किसी भाग का स्वामित्व अलग-अलग हिस्सों से उप विभाजित किया जाता है या एक संलग्न खाली भूमि या भवन या उसके किसी भाग से अधिक किसी एक स्वामित्व के अधीन एकीकरण द्वारा आता है तो आयुक्त स्वामी या सह स्वामी जैसी भी स्थिति हो से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर या समीकरण द्वारा जैसी भी स्थिति हो ऐसी खाली भूमि या भवन या उसके भाग को इस धारा के उपबंधों के अनुरूप सुनिश्चित कर सकता है ।

- (6) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी खाली भूमि या भवन के संबंध में किए गए किसी कर निर्धारण के अन्धा होते हुए आयुक्त स्वयं या अन्य प्रकार से इस धारा के उपबंधों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग तक पहुँचने के लिए या एकीकरण या पृथक या जारी रखने का कार्य कर सकता है ।
- (7) आयुक्त इस संबंध में किसी स्वामी पट्टेदार, उपपट्टेदार या खाली भूमि या भवन के पट्टेदार से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा इन उपविधियों में यथानिर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसे स्वामी, पट्टेदार, उप-पट्टेदार या अधिभोगी जैसी भी स्थिति हो को कर-निर्धारण की चालू अवधि के लिए या कर-निर्धारण की किसी पूर्ण अवधि के लिए ऐसी खाली भूमि या भवन के अनेक अधिभोगियों के बीच ऐसी खाली भूमि या भवन संपत्तिकर के संविभाजन से संबंधित सूचना दे सकता है ।

उपबंध है कि इस उपधारा में कोई भी बात निगम को किसी व्यक्ति, संयुक्त रूप से या अलग-अलग संपत्ति कर के कारण बकाया देयों की वसूली से रोकेगा नहीं ।

8. धारा 116 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन: मूल अधिनियम धारा 116 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“116 नगर मूल्यांकन समिति का गठन:- (1) सरकार दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ होने के पश्चात् तथा उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगर मूल्यांकन समिति का गठन करेगी ।

(2) नगर मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

(क) अध्यक्ष तथा

(ख) ऐसे अन्य सदस्य जैसा सरकार निश्चित करे, दो से कम तथा छः से अधिक नहीं होंगे ।

(3) नगर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे और उनकी शैक्षिक योग्यता व अनुभव जो नियुक्ति के लिए आवश्यक है, चयन पद्धति, दूसरी अन्य सेवा शर्तों जिसमें वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अवधि जैसा कि सरकार नियमों के अनुसार उसे निर्धारित करेगी ।

(4) नगर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को नगर फंड से वेतन तथा भत्ते दिए जाएंगे ।

(5) नगर मूल्यांकन समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:-

(क) दिल्ली में किसी वार्ड में खाली भूमि और भवनों को कॉलोनीयों तथा भूमि और भवनों के समूहों में वर्गीकरण से सम्बन्धित मामलों में तथा खाली भूमि के प्रति यूनिट क्षेत्र के अनुसार आधार मूल्य के निर्धारण या भवन के आच्छादित स्थल के प्रति यूनिट क्षेत्र तथा वृद्धि या कमी के लिए तथ्य या किसी प्रकार की वृद्धि या कमी न होने के तथ्यों से, निगम को सिफारिश करना;

(ख) धारा 116 ग के अधीन आपत्तियों पर विचार करना तथा उन पर सिफारिश करना तथा

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना जैसा सरकार आवश्यक समझे

116 क. खाली भूमियों और भवनों का कॉलोनीयों और समूहों में वर्गीकरण तथा उसके लिए आधार यूनिट क्षेत्र मूल्यों का विनिर्देशन:- (1) नगर मूल्यांकन समिति निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए धारा 5 में उल्लिखित दिल्ली के किसी वार्ड में खाली भूमियों और भवनों को कॉलोनीयों और भूमियों और भवनों के समूहों में वर्गीकरण की सिफारिश करेंगी -

(क) समझौता पैटर्न जैसे भूखंड आवास, समूह आवास कॉलोनी केवल फ्लेट्स, शहरी गांव, अनाधिकृत कॉलोनी, पुर्नवास कॉलोनी, ग्रामीण गांव तथा गैर आवासीय क्षेत्र

(ख) नागरिक और सामाजिक आधारभूत उपलब्धता,

(ग) सड़कों तक पहुंच

(घ) जिला केन्द्रों, स्थानीय शॉपिंग केन्द्रों, सुविधाजनक शॉपिंग केन्द्रों तथा अन्य मार्किट तक पहुंच,

(ङ) केन्द्र सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय अधिसूचित भूमि मूल्य

(च) किसी भवन के प्रयोगानुसार श्रेणी में निम्नलिखित सम्मिलित है आवासीय भवन, व्यापारिक भवन, वाणिज्यिक भवन, मनोरंजन और खेल-कूद उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भवन, औद्योगिक भवन, खतरनाक भवन तथा सार्वजनिक उद्देश्य के भवन जिसमें शैक्षणिक चिकित्सा तथा ऐसे अन्य सांस्थानिक भवन और फार्म हाऊस सम्मिलित हैं जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं ।

(छ) व्यापार भवन, वाणिज्यिक भवन, मनोरंजन और खेल, औद्योगिक खतरनाक, भंडारण या फार्म हाऊस उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भवनों के मामले में ऐसी गलियों की श्रेणी से सम्बद्ध ऐसे भवनों की स्थिति निगम द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार होगी।

(ज) भवनों की किस्म जो पक्का, अर्द्धपक्का या कच्चा के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है जो निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हो

(झ) निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भवनों की आयु अनुसार समूह तथा

(ञ) अन्य ऐसे मापदंड जो नगर मूल्यांकन समिति द्वारा सुसंगत समझो जा सकते हैं

(2) नगर मूल्यांकन समिति समूहानुसार निम्नलिखित की सिफारिश करेगी-

(क) खाली भूमि या पूर्ण रूप से पक्का ढांचा भवन जो कि वर्ष 2000 या उसके बाद निर्मित है उसको पूर्ण स्वामित्व के आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य तथा जिसे आवासीय प्रयोग के लिए रखा गया है तथा

(ख) वृद्धि या कमी के तथ्य या वृद्धि या कमी न होने के तथ्य खंड (क) में विनिर्दिष्ट आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य कॉलोनी के किस्म के प्रत्येक मापदंड के संबंध में पृथक से ढांचे और अधिभेग की किस्म प्रयोग, आयु, खाली भूमि या भवन जैसी भी स्थिति हो, की स्थिति 0.5 की निम्नतम सीमा तथा अधिकतम सीमा 10.0 होगी"

116ख. खाली भूमि और भवनों को कॉलोनियों में वर्गीकृत करने तथा उसके लिए आधार यूनिट क्षेत्र मूल्यों के समूह और विनिर्देशन तथा वृद्धि या कमी के कारणों की अधिसूचना:- (1) नगर निगम मूल्यांकन समिति की सिफारिशों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वार्ड में खाली भूमि और भवनों को ऐसी कॉलोनियों में वर्गीकृत करने तथा भूमि और भवनों के समूह को जैसा निगम सार्वजनिक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अपने आशय की घोषणा करेगा तथा ऐसी सार्वजनिक सूचना में ऐसे प्रत्येक समूह में खाली भूमि और भवन के आच्छादित स्थल के प्रति यूनिट क्षेत्र तथा खाली भूमि के प्रति यूनिट क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रस्तावित करने के लिए आधार मूल्य तथा धारा 116क की उप धारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित खाली भूमि और भवनों के आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य में वृद्धि या कमी या वृद्धि न होने या कमी न होने के मामलों संबंधित अपने आशय की घोषणा करेगा।

(2) निगम ऐसे खाली भूमि या भवनों को किसी समूह में वर्गीकरण द्वारा या ऐसे समूहों में खाली भूमि या भवनों के आच्छादित क्षेत्र के आधार यूनिट क्षेत्र मूल्यों के

विनिर्देशन तथा वृद्धि या कमी या वृद्धि न होने या कमी न होने के कारणों, खाली भूमि या भवनों के आच्छादित स्थल के यूनिट क्षेत्र मूल्यों से संबंधित किसी कॉलोनी में किसी समूह से प्राप्त आवेदन पत्र को पुनः विचार हेतु नगर मूल्यांकन समिति को भेजेगा तथा नगर मूल्यांकन समिति का निर्णय धारा 116क, के उपबंधों के अनुसार निगम पर बाध्य होगा ।

116ग. खाली भूमि और भवनों के कॉलोनियों और समूहों में वर्गीकरण के लिए आपत्ति तथा आधार यूनिट क्षेत्र मूल्यों के निर्धारण और ऐसे आधार यूनिट क्षेत्र मूल्यों में वृद्धि या कमी के कारणों से संबंधित आपत्ति:-

(1) किसी वार्ड में किसी खाली भूमि या भवन का कोई स्वामी या अधिभोगी जिसके संबंध में धारा 116 ख के अधीन सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, को किसी समूह या समूहों में वर्गीकरण के तरीके या खाली भूमि के आधार मूल्य प्रति यूनिट क्षेत्र या किसी समूह में भवन के आच्छादित स्थान के आधार मूल्य प्रति यूनिट क्षेत्र या धारा 116 क की उपधारा (2) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट तथ्यों से संबंधित कोई आपत्ति है तो वह इस संबंध में निगम द्वारा यथा प्राधिकृत निगम के अधिकारी को उस तरीके से और ऐसे विवरण सहित अपनी आपत्ति ऐसी सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् नगर मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसी आपत्ति पर विचार किया जाएगा ।

(2) सुनवाई और आपत्तियों के निपटान की पद्धति यथा निर्धारित होगी ।

(3) धारा 116 ख के अधीन सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर तथा इस धारा के उपबंधों के अनुसार आपत्तियों पर (यदि कोई हो) नगर मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निगम सार्वजनिक सूचना द्वारा धारा 116 क की उपधारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित कारणों तथा खाली भूमि और भवन के आच्छादित स्थान के आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य को समूह अनुसार विनिर्दिष्ट करेगा ।

उपबंध है कि निगम सरकार के अनुमोदन के बिना नगर मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत यूनिट क्षेत्र मूल्यों में परिवर्तन नहीं करेगा ।

116घ. खाली भूमि और भवन के आच्छादित स्थान का पूरा आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य:-(1) धारा 169 के उपबंधों के अनुसार किसी भी समूह में खाली भूमि तथा भवन के आच्छादित स्थान का आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य जैसा कि धारा 116 ग की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट है अंतिम होगा,

(2) निगम खाली भूमि तथा उपरोक्तानुसार भवन के आच्छादित स्थान का फाइनल आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य तथा वृद्धि या कमी के लिए या वृद्धि न होने या कमी न होने के लिए प्रयुक्त तथ्यों का फाइनल आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य तथा उपरोक्तानुसार फाइनल आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य को प्रकाशित करेगा तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु उसे निशुल्क उपलब्ध कराएगा उसकी प्रतियाँ किसी भी व्यक्ति को लागत का भुगतान करने पर उपलब्ध भी कराया जाएगा ।

116 ड- भवन के आच्छादित तथा खाली भूमि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण- (1) किसी वार्ड में भवन के किसी आच्छादित स्थान की वार्षिक मूल्य वह राशि होगी जो भवन के आच्छादित क्षेत्र के कुल क्षेत्र से अन्तिम आधार यूनिट क्षेत्र मूल्य से गुणा करने पर तथा धारा 116 क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लेखित सम्बन्धित अन्य तत्वों के आधार पर निकाली जाती है

स्पष्टीकरण-“आच्छादित स्थान” किसी भवन के सम्बन्ध में अर्थ होगा उसके सभी तलों पर कुल तलक्षेत्र जिसमें दीवार की मोटाई भी शामिल है तथा आच्छादित बरामदा तथा कोर्टयार्ड, आने जाने का रास्ता, गैराज, सामान्य सेवा क्षेत्र, सीढ़िया तथा वालकनी पर आच्छादित क्षेत्र तथा प्लाट की चारदीवारी से बाहर निकाला हुआ कोई क्षेत्र और यथा निर्धारित अन्य कोई स्थान भी शामिल है ।

(2) निगम उपरोक्त भवन के आच्छादित स्थान के कुल क्षेत्र को वास्तुविद अधिनियम 1972 (20) के अधीन पंजीकृत वास्तुविद या अन्य लाईसेंस धारी वास्तुविद द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार प्रमाणित करवाया जायेगा ।

(3) किसी वार्ड में किसी खाली भूमि का वार्षिक मूल्य उस खाली भूमि के कुल क्षेत्र को उस भूमि के अन्तिम आधार यूनिट एरिया मूल्य को गुणा करने पर तथा धारा 116 “क” की उपधारा (2) पर उल्लेखित अन्य सम्बन्धित तत्वों के आधार पर, निकाली जाने वाली राशि होगी ।

(4) किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के मामले में यदि उसका कोई भाग विभिन्न अन्तिम आधार यूनिट एरिया मूल्य के अन्तर्गत आता है या स्वयं कब्जा नहीं है तो उक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक मूल्य अलग-अलग लगाया जायेगा तथा उक्त वार्षिक मूल्य की राशि उस खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान जैसी भी स्थिति हो, राशि होगी ।

116च- भवन का वार्षिक मूल्य निर्धारण जहाँ भूमि सम्पत्तिकर से छूट हो: जहाँ इस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी खाली भूमि को सम्पत्तिकर से छूट प्राप्त है उस भूमि पर बनाये गये किसी भवन का वार्षिक मूल्य जो एक वर्ष से अधिक से समय से बना हुआ है और इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन इस कर से किसी छूट का पात्र नहीं है तो उसका निर्धारण इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा ।

116 छ- परिवर्तनशील उपबन्ध (1) इस अधिनियम में कुछ भी रहते जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) द्वारा संशोधित एक खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या दोनों में कर इस अधिनियम के अधीन दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) लागू होने से तुरन्त पहले वसूल किया जायेगा और दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) के लागू होने पर उस खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या दोनों पर दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) द्वारा यथा संशोधित अधिनियम के अधीन लगाया गया माना जायेगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक इस अधिनियम की दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) के द्वारा यथा संशोधित उपबन्धों के अनुसार इसे संशोधित नहीं किया जाता ।

(2) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए यहाँ किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या दोनों के विषय में कर-निर्धारण को दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) के लागू होने की तिथि तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा निर्धारित उस भूमि या भवन या दोनों जैसी भी स्थिति हो का निर्धारण वार्षिक मूल्य के आधार पर करवा सकता है ।

116ज-एक बारगी कर:- इस अधिनियम में कुछ भी रहते हुए उन मामलों में जहाँ स्वामी पहले ही पीछे किसी स्कीम में एकबारगी कर अदा कर चुका है तो भुगतान किये गये एकबारगी कर के आधार पर रेटेबल वेल्यू की सीमा तक लगाया जायेगा, जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम 2003) उपबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य के अनुसार होगा तो कर दायित्व सकल वार्षिक मूल्य के आधार पर निकाला जायेगा ।

116झ-खाली भूमि तथा भवन के आच्छादित स्थान की आधार यूनिट एरिया मूल्य की वैधता- खाली भूमि के आधार यूनिट एरिया मूल्य तथा भवन के आच्छादित स्थान के आधार यूनिट एरिया मूल्य, जो किसी वार्ड में किसी विनिर्दिष्ट समूहों के सम्बन्ध में है तीन वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा ।

बशर्ते की जब तक इस आधार यूनिट एरिया मूल्य का संशोधन पूरा नहीं होता, वर्तमान आधार यूनिट एरिया मूल्य लागू रहेगा ।

116मं यूनिट एरिया मूल्य का सूचीकरण: यदि किसी कारण से किसी वार्ड में किसी समूह में किसी खाली भूमि के आधार यूनिट एरिया मूल्य या भवन के आच्छादित स्थान के आधार यूनिट एरिया मूल्य को उस आधार यूनिट एरिया मूल्य के अन्तिम निर्धारण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि पूरा होने पर भी संशोधित नहीं किया गया तो शहरी नान मेनुअल वर्कज़ के उपभोक्ता मूल्य इन्डेक्स या निगम मूल्यांकन समिति द्वारा संशोधन किया जाने तक सरकार द्वारा निश्चित किसी अन्य उपयुक्त इन्डेक्स के परिवर्तन के अनुसार आधार यूनिट एरिया मूल्य में बढ़ोतरी या कमी किया जाना विधि सम्मत होगा और इस भवन के आच्छादित स्थान या खाली भूमि पर सम्पत्तिकर की राशि संशोधित आधार यूनिट एरिया मूल्य के आधार पर वसूली जायगी ।

116ट-कठिनाई एवं विसंगति हटाने सम्बन्धी समिति: 1) निगम दिल्ली नगर निगम (संशोधन 2003) लागू होने पर उस अवधि तक जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, निगम जैसा उचित समझे इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (संशोधन 2003) के द्वारा यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन लगाये गये सम्पत्तिकर के सम्बन्ध में कठिनाईयों और विसंगतियों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा ।

(2) कठिनाई एवम् असंगति निवारण समिति में वित्त, कराधान, विधि या नगर प्रबंधन के क्षेत्र से कोई व्यावसायी जो अध्यक्ष होगा और चार अन्य सदस्य जिनमें एक निगम द्वारा मनोनीत पार्षद, एक नगर मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष तथा एक सदस्य नगर मूल्यांकन समिति के सदस्यों में से मनोनीत होगा और एक निगम का अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) होगा ।

(3) कठिनाई एवं असंगति निवारण समिति लगाये गये सम्पत्ति कर के सामने आने वाली किसी कठिनाई या असंगति से प्रभावित किसी व्यक्ति समूह से प्राप्त याचिका पर निगम को सिफारिश देगा और इस सिफारिश पर निगम का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) कठिनाई एवं असंगति निवारण समिति के प्रकार्यों की प्रक्रिया निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट रूप से होगी ।

9. धारा 119 से संशोधन-(1)- उपधारा (1) के वाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्,

स्पष्टीकरण- इस धारा के उद्देश्यों के लिए सरकारी कम्पनी या संवैधानिक निगम जिसका अपना नियमित अस्तित्व है उसको संघ की सम्पत्ति नहीं माना जायेगा ।

(ii) मुख्य अधिनियम में धारा 119 उपधारा (2) को हटाया जाएगा ।

10. धारा 120 के लिए नयी धारा का प्रतिस्थापन -मुख्य अधिनियम की धारा 120 के स्थान पर निम्नलिखित धारा का प्रतिस्थापन किया जाएगा अर्थात:-

"120.सम्पत्तिकर का मामला-(1)(क) किसी भूमि या भवन का सम्पत्ति कर प्रथमतया उसके स्वामी से लिया जायेगा ।

(ख) किसी भूमि या भवन के अनेक स्वामियों का दायित्व निर्धारण के लिए एकल इकाई होगा जो विभिन्न भागों में जिसमें प्लेट या कमरे शामिल हैं कई व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व के अन्तर्गत माना जायेगा जो सम्पत्ति कर या उसकी किसी किशत के भुगतान के लिए उस स्वामित्व की अवधि के दौरान देय होगा, यह संयुक्त और अनेक रूप में होगा ।

बशर्त कि आयुक्त इस भूमि या भवन के सम्पत्ति कर की राशि को अनेक सह स्वामियों में विभाजित कर सकता है ।

आगे यह भी कि जहाँ आयुक्त किसी मामले में लिखित कारणों से सन्तुष्ट है कि स्वामी लापता है और उस भूमि या भवन के कब्जा रखनेवाले व्यक्ति से उस समय के लिए सम्पत्तिकर के भुगतान के लिए कहा जायेगा और यदि अनुमति होगी तो छूट के लिए पात्र भी होगा ।

(ग) किसी भूमि या भवन के मामले में जो स्व कब्जे में नहीं है और वे स्वामी किसी विधि, सरकारी आदेश या न्यायालय के आदेश के कारण देयकर वसूली से रोका गया है तो यह कर कब्जा रखने वाले या अधिक कब्जा रखने वालों, जैसी भी स्थिति से वसूलनीय होगा ।

बशर्त कि स्वामी दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले देयकर की राशि का भुगतान कर्ता रहेगा और शेष राशि यदि कोई एक को ही केवल कब्जा रखने वाले से वसूल किया जायेगा ।

(घ) किसी भूमि या भवन पर सम्पत्ति कर जो निगम की सम्पत्ति है तथा उसका कब्जा किसी अनुबंध या लाइसेंस व्यवस्था के अधीन किसी को प्रदान किया गया है तो सम्पत्ति कर अन्तरिति या लाइसेंस धारी जैसी भी स्थिति हो से वसूल किया जायेगा ।

(इ) संध की सम्पत्ति होने के कारण किसी भूमि या भवन का सम्पत्ति कर, जिसका कब्जा विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति) एवम् पुर्नवास अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा के अनुसरण में दिया गया है अन्तरिति से वसूल किया जायेगा ।

(2) यदि कोई भूमि किसी किरायेदार का एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किराये पर दी गयी है और किरायेदार ने इस पर निर्माण किया तो इस भूमि तथा उस पर बनाये गये भवन सम्बन्धी सम्पत्तिकर का निर्धारण किरायेदार द्वारा भुगतान किया जायेगा, चाहे यह सम्पत्ति किरायेदार के कब्जे में या उसके उप-किरायेदार के कब्जे में हो ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के उद्देश्य के लिए "किरायेदार" में ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने किरायेदार से भूमि पर हक प्राप्त कर लिया है या उस भूमि पर भवन बना लिया है, चाहे यह अधिकार कानून के प्रावधान से या आपसी समझौते से हुआ हो

11.नई धारा 120क तथा 120ख सन्निविष्ट करना:-मुख्य अधिनियम की धारा 120 के पश्चात् निम्नलिखित धाराओं को सम्मिविष्ट किया जायेगा अर्थात्-

120क. स्लम तथा पुर्नवास कालोनियों में सेवा प्रभार की वसूली :(1) निगम समय-समय पर कुल भूमि क्षेत्र या भवन के आच्छादित स्थान पर किसी स्लम या पुर्नवास कालोनी में जहाँ सम्पत्ति कर वसूल नहीं किया जा सकता, सेवा प्रभार उस राशि तक वसूल कर सकता है जो निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सेवा प्रदान करने की वास्तविक लागत की राशि से अधिक नहीं होगा ।

(2) निगम लोकहित में सेवा प्रभार के संग्रह का कार्य जैसा उपरोक्त है, स्लम निवासियों के किसी संगठन या पुर्नवास कालोनियों के निगम द्वारा मान्यताप्राप्त निवासियों द्वारा संग्रह को दिया जा सकता है ।

120ख. समूह आवास समिति, आवासीय कल्याण संघ, मार्किट संघ या औद्योगिक एस्टेट को अनुदान- जहाँ सम्पत्ति स्वामियों तथा/या कब्जा रखने वालों का संगठित समूह जैसे-समूह आवास समिति, आवासीय कल्याण समिति, मार्किट संघ, औद्योगिक एस्टेट और निगम द्वारा पंजीकृत है, निगम के अनुमोदन से अपने इच्छा से कोई नागरिक सेवा जो निगम के अनिवार्य प्रकार्यों में शामिल है यदि धारा 42 में विनिर्दिष्ट है उक्त समूह जैसा कि उपविधि में विनिर्दिष्ट किया जायेगा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सेवा प्रदान करने के लिए तो निगम उस समूह को उसके द्वारा प्रदान की गयी सेवा को देखते हुए निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि दे सकता है ।

बशर्ते कि यह अनुदान उस समूह के क्षेत्र अधिकार की भूमि तथा भवनों से एकत्रित सम्पत्ति कर की राशि का 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

12. धारा 121 को हटाना- मुख्य अधिनियम में धारा 121 को हटाया जायेगा ।

13. नई धारा 123क, 123ख, 123ग तथा 123घ को सम्मिविष्ट करना: मुख्य अधिनियम की धारा 123 के पश्चात निम्नलिखित धाराओं को सम्मिविष्ट किया जायगा अर्थात्:

"123क. विवरणी योजना-(1) आयुक्त खाली भूमि तथा भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य तथा सम्पत्ति कर भुगतान के लिए प्रथमतया उत्तरदायी व्यक्ति के निर्धारण के लिए सार्वजनिक सूचना या लिखित नोटिस द्वारा खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या उसके किसी भाग के स्वामी तथा कब्जा रखने वाले को जिसमें वह स्वामी या धारा 123ख के उपबन्धों के अधीन देय कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति को उपविधि द्वारा यथानिर्धारित फार्म में उस समय सीमा के अन्तर्गत जो उस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन से कम न होने चाहिए या उसमें विनिर्दिष्ट तिथि तक विवरणी भेजने के लिए कहेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा अर्थात्

(क) स्वामी तथा कब्जा रखने वाले का नाम

(ख) वार्ड की संख्या, कालोनी का नाम तथा खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान जैसी भी स्थिति हो के परिसर की संख्या तथा उप संख्या

(ग) भवन पक्का, अधपक्का या कच्चा कैसा है

(घ) भवन निर्माण के पूर्ण होने का वर्ष या उसके आंशिक निर्माण का वर्ष या एक से अधिक वर्ष जैसी भी स्थिति हो

(ङ.) धारा 116 क की उपधारा (1) के खण्ड (च) के संदर्भ में भूमि या भवन के आच्छादित स्थान का प्रयोग या सम्भावित प्रयोग ।

(च) खाली भूमि तथा भवन के आच्छादित स्थान का क्षेत्र और विभिन्न प्रयोग में क्षेत्र का भाग

(छ) क्या पूरी तरह स्वामी द्वारा काबिज है या पूरा किराये पर या अंशतः स्वामी द्वारा काबिज या अंशतः किराये पर तथा उसके क्षेत्र और

(ज) अन्य ऐसा विवरण जो उपविधि द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

(2)(क) उपरोक्त के अनुसार प्रत्येक स्वामी और प्रत्येक काबिज इस नोटिस के अनुपालन के लिए तथा विवरण भेजने के लिए बाध्य है और इसमें घोषणा करेगा कि स्वामी या काबिज के द्वारा की गयी घोषणा और विवरण उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

(ख) जो व्यक्ति इस अनिवार्यता के अनुपालन में असमर्थ रहता है तो वह देय के अतिरिक्त किसी अर्थदण्ड के साथ उस भूमि या भवन के सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा किये गये किसी निर्धारण के लिए आपत्ति के अन्तर्गत शामिल हो जायेगा ।

(3) आयुक्त या उसके अधीनस्थ कोई व्यक्ति या इस आशय के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति लिखित रूप में या कोई लाइसेंस धारी वास्तुविद किसी भूमि या भवन के स्वामी या काबिज को पूर्व सूचना देकर या दिये जाने पर भूमि या भवन में प्रवेश करके निरीक्षण या सर्वेक्षण कर सकता है और विवरण में उस भूमि या भवन में दिये गये विवरण की पुष्टि के लिए भूमि या भवन को उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण को एकत्र करने के लिए नाम ले सकता है ।

बशर्ते कि इस कार्य के लिए प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ही किया जा सकता है ।

123ख- स्व करनिर्धारण और विवरण की प्रस्तुति:- (1) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2003 के लागू होने के पश्चात् खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के मालिक या सम्पत्तिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति या मालिक या व्यक्ति की अनुपस्थिति में कब्जा रखने वाले अन्य व्यक्ति उपरोक्त अधिनियम के लागू होने के 60 दिनांक के भीतर स्व कर-निर्धारण का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(2) उक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति या काबिज जैसी भी स्थिति हो उसके पश्चात् जिस वर्ष के लिए विवरण भरा जाना है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के 3 महीने के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(3) भवन के आच्छादित स्थान या खाली भूमि के किसी स्वामी या सम्पत्ति कर देने के लिए उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति या स्वामी या ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोई काबिज धारा 114 (क) या 114(ग) के अधीन देय कर जैसी भी स्थिति हो की गणना करेगा और वित्त वर्ष, जिसके लिए कर का भुगतान किया जाना है के बराबर तिमाही किश्तों में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च तक जमा करेगा । वित्त वर्ष के 30 जून तक उसी वित्त वर्ष के कर की राशि एकमुश्त जमा करवाने पर कुछ प्रतिशत छूट जो 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या निगम द्वारा अधिसूचित की गयी हो जैसी भी स्थिति हो कुल कर राशि जमा करवाने पर दी जायेगी ।

(4) किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान का स्वामी या सम्पत्ति कर देने का उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति या स्वामी या व्यक्ति की अनुपस्थिति में कोई काबिज जो इस धारा के अधीन सम्पत्ति कर अदा करता है गणना करने पर खाली भूमि या भवन का आच्छादित स्थान जैसी भी स्थिति हो ब्याज सहित यदि कोई है इस अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत देय सम्पत्ति कर का भुगतान करेगा ।

(क) जो किसी नये भवन या वर्तमान भवन जिसका कर-निर्धारण नहीं किया गया है या,

(ख) कोई वर्तमान भवन जिसका पुर्न निर्माण या काफी मात्रा में परिवर्तन या सुधार पिछले कर-निर्धारण के बाद किया गया है लेकिन इस पुर्ननिर्माण या परिवर्तन या सुधार जैसी भी स्थिति हो के पश्चात् कर-निर्धारण में संशोधन नहीं किया गया है ।

(5) उक्त स्वामी, व्यक्ति या जैसी भी स्थिति हो आयुक्त को उपविधि में विनिर्दिष्ट रूप में यदि प्रपत्र में स्व करनिर्धारण का विवरण आयुक्त को भेजेगा तो उक्त विवरण के साथ सम्पत्ति कर तथा उसके ब्याज के भुगतान का सबूत यदि कोई है जमा करायेगा ।

(6) किसी ऐसे नये भवन के मामले में जिसका रिहायश प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है या जिसको दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2003 के लागू होने के पश्चात् रिहायश बनाया गया तो यह भुगतान और यह विवरण तिमाही की समाप्ति के 30 दिन के भीतर जिस तिमाही में रिहायश प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था या उस भवन में आवास किया गया इसमें जो पहले हो ।

स्पष्टीकरण- सन्देह के निवारण के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि रिहायश प्रमाणपत्र अस्थायी या अन्तिम और पूरे भवन या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है तथा रिहायश पूरे भवन या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है ।

(7) धारा 116(ड़.) या धारा 116 (च) या धारा 123(ग) के अन्तर्गत संशोधन के अधीन खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य के निर्धारण के पश्चात् इस धारा के अधीन स्वः कर-निर्धारण के अन्तर्गत दी गयी कोई राशि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन उक्त निर्धारण के विषय में दी गयी मानी जायेगी ।

(8) यदि कोई स्वामी या उपरोक्त अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सम्पत्ति कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है ब्याज सहित इस कर के भुगतान में शामिल रहता है तो वह किसी अन्य कार्यवाही के विपरीत प्रभाव डाले जाने उक्त सम्पत्ति कर के ब्याज या दोनों अदा नहीं किये जाते हैं के भुगतान न करने का दोषी माना जायेगा तथा इस अधिनियम के सभी उपबन्धों तदनुसार उस दोषी पर लागू होंगे ।

(9) यदि किसी भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य के इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत स्व कर-निर्धारण के लिए किया गया भुगतान निर्धारिती द्वारा देय राशि से कम पाया जाता है तो निर्धारिती अन्तिम निर्धारण की तिथि के 2 माह के भीतर शेष राशि का भुगतान करेगा । ऐसा न होने पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वसूली की जायेगी परन्तु यदि अन्तिम कर-निर्धारण के पश्चात् यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने अधिक राशि का भुगतान किया है तो यह अधिक राशि लोटा दी जायेगी ।

उपबन्ध किया जाता है कि ऐसी किसी मामले में जहाँ स्व कर-निर्धारण के अन्तर्गत दिये गये कर की राशि अन्तिम कर-निर्धारण के कर सुनिश्चय राशि से अधिक है और कर की राशि का अन्तर आयुक्त की राय में तथ्यों को जानबूझकर 30 प्रतिशत तक की राशि और उस पर ब्याज अर्धदण्ड के रूप में वसूल कर सकता है ।

आगे यह भी उपबन्ध है इस अर्धदण्ड की वसूली इस अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त होगा ।

यह भी उपबन्ध है कि नोटिस भेजने, आपत्तियों की सुनवाई , कर तथा अर्धदण्ड का सुनिश्चयन की प्रक्रिया वही होगी जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट है ।

(10) जहाँ आयुक्त द्वारा धारा 123 (ग) के अन्तर्गत स्व करनिर्धारण सम्बन्धी वर्ष के पश्चात् सम्बन्धी वर्ष के पश्चात् 12 महीने के भीतर कोई नोटिस नहीं भेजा जाता तो स्व कर-निर्धारण इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कर-निर्धारण माना जायेगा ।

उपबंध है कि ऐसी स्थिति में जहाँ तथ्यों को छुपाया गया है, देय कर 30 प्रतिशत तक अर्थदंड लगाया जा सकता है।

आगे यह भी उपबंध है कि नोटिस को भेजने आपत्तियों की सुनवाई तथा कर का निर्धारण तथा अर्थदंड की प्रक्रिया उपविधि में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी।

123 ग कर निर्धारण में संशोधन :- (1) आयुक्त किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या उसके किसी भाग का वार्षिक मूल्य में निम्नलिखित मामलों में किसी भी समय संशोधन कर सकता है, अर्थात् :-

- (i) जहाँ प्रयोग की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है।
- (ii) जहाँ रिहायश की प्रकृति बदल चुकी है या
- (iii) जहाँ नया भवन निर्मित किया गया है या वर्तमान भवन का पुनः निर्माण या अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन या सुधार अवधि के दौरान किया गया है। वार्षिक मूल्य लागू रहेगा या
- (iv) जहाँ लिखित रूप में स्वामी द्वारा या संपत्ति कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के आवेदन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि वार्षिक मूल्य लागू रहने की अवधि के दौरान यह मूल्य किसी अधिक मात्रा में भवन के ढह जाने या किसी दुर्घटना या आपदा के कारण उसके मूल्य में कमी आई है और आयुक्त संतुष्ट है कि यह स्थिति स्वामी या व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर थी या
- (v) जहाँ कोई खाली भूमि या भवन का आच्छादित स्थान या उसका कोई भाग केन्द्र सरकार या सरकार या निगम द्वारा खरीदा गया है या अन्य रूप में अधिग्रहण कर लिया गया है, या
- (vi) जहाँ कोई खाली भूमि या भवन का आच्छादित स्थान या उसका कोई भाग केन्द्र सरकार या सरकार या निगम को बेचा गया है या अन्य प्रकार से अन्तरण किया गया है या
- (vii) जहाँ किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित भवन के एक भाग के अधिग्रहण या अन्तरण किए जाने के बाद कोई शेष भाग बचता है या
- (viii) जहाँ ऐसा करना किसी अन्य लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारण से आवश्यक हो जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन वार्षिक मूल्य के किसी संशोधन करने से पहले आयुक्त किसी स्वामी व्यक्ति या कब्जा रखने वाले जैसी भी स्थिति हो, जो इस संशोधन से प्रभावित होता है को 30 दिन या इससे अधिक की अवधि का नोटिस देगा कि वह संशोधन करने का प्रस्ताव करता है और उस स्वामी, व्यक्ति या कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी आपत्ति पर विचार करेगा।

(3) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए जहाँ किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान का वार्षिक मूल्य :-

(i) किसी कारण से इस अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित नहीं किया गया है तो उस खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान, जैसी स्थिति हो का वार्षिक मूल्य आयुक्त द्वारा उस खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के विषय में निर्धारण की अवधि व्याप्त रहने के दौरान धारा 116 ड या धारा 116 च जैसी भी स्थिति हो निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) अनियमितता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है।

तथा ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का वार्षिक मूल्य तब तक लागू रहेगा जब तक एक नया मूल्यांकन या संशोधन नहीं किया जाता।

(4) इस धारा के अधीन किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या उसके किसी भाग के वार्षिक मूल्य की समीक्षा उस समूह के संदर्भ में की जाएगी जिसमें ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान या धारा 116 क के अधीन उसका कोई भाग वर्गीकृत है तथा उस समूह के लिए ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य निर्धारित प्रति यूनिट क्षेत्र लागू होगा।

(5) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए इस धारा के अन्तर्गत किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य में ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के स्वामी या अधिभोगी को सुनवाई उचित अवसर दिए बिना किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।

(6) जहाँ इस धारा के अधीन किसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के वार्षिक मूल्य का संशोधन किया गया है तो ऐसे संशोधन का आदेश किए जाने वाली तारीख से 10 दिनों के अन्दर ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के स्वामी या अधिभोगी को भेज दी जाएगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आदेश प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के अन्दर सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के पास की जाएगी यदि ऐसी खाली भूमि या भवन के आच्छादित स्थान के स्वामी व्यक्ति या अधिभोगी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

123घ कर निर्धारण से संबंधित आयुक्त की शक्ति :- आयुक्त किसी भी समय निम्नलिखित कार्य कर सकता है:-

(क) किसी भी मामले में जहाँ स्व कर निर्धारण के आधार पर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है स्वतः कर निर्धारण कर सकता है।

(ख) किसी भी कर निर्धारण में संशोधन कर सकता है जहाँ स्व कर निर्धारण की विवरणी में प्रस्तुत सूचना गलत पाई जाती है।

(ग) किसी भी मामले में जहाँ उसे पता चलता है कि सूचना को जान बूझकर छिपाया गया है, एक वर्ष के पश्चात् भी कर निर्धारण को पुनः देख सकता है।

(घ) अर्थदंड लगा सकता है जो गलत सूचना या जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुए समय पर विवरणी प्रस्तुत न करने से उत्पन्न कर में अन्तर के 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

14. धारा 124 का प्रतिस्थापन :- मूल अधिनियम में धारा 124 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“124 नगर कर निर्धारण पुस्तिका :- (1) निगम उपविधियों यथाविनिर्दिष्ट तरीके से नगर कर निर्धारण पुस्तिका रखरखाव करेगी तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरे तरीके से निःशुल्क जाँच हेतु उपलब्ध कराएगा।

उपबंध है कि नगर कर निर्धारण पुस्तिका किसी भी ऐसे मामले के लिए लंबित नहीं रखी जाएगी जिसके लिए कोई आपत्ति या अपील दायर की गई हो।

(2) निगम किसी भी समय उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट कारणों के लिए नगर कर निर्धारण पुस्तिका में संशोधन कर सकता है।

उपबंध है कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

15. धारा 125 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन :- मूल अधिनियम की धारा 125 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“125 संपत्ति पहचान संहिता का निर्धारण :- (1) निगम एक रजिस्टर बनवाएगा जिसमें संपत्ति पहचान संहिता संख्या, जिससे कोई परिसर या उसका कोई भाग जाना जाता है। नगर निगम के ऐसे प्रत्येक परिसर के संबंध में अभिलेखबद्ध किया जाएगा और ऐसी संख्याएं ऐसी पद्धति से निर्धारित की जाएगी जैसा उपविधियों में विनिर्दिष्ट है।

(2) जहाँ निगम के किसी वार्ड में परिसर के संबंध में संपत्ति पहचान कोड संख्या निर्धारित की जा चुकी है वहाँ आयुक्त उपविधियों में यथानिर्धारित विधियों में उसे अधिसूचित करेगा।

(3) उपधारा 2 के अन्तर्गत :- किसी वार्ड के परिसर के संबंध में संपत्ति पहचान कोड संख्या के अधिसूचित होने के उपरान्त किसी सेवा के लिये या यथानिर्धारित ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी कर के भुगतान के लिये अथवा किसी देनदारी के भुगतान के लिये अथवा अनुमति पत्र या लाइसेंस के लिये निगम पर लागू इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अनुसार अपेक्षित कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र में उल्लिखित ऐसा आवेदन पत्र करते समय आवेदन पत्र में उपधारा (1) में निर्धारित संपत्ति पहचान कोड का उल्लेख करेगा।

16. धारा 126 हटाना :- मूल अधिनियम की धारा 126 हटायी जाएगी।

17. धारा 127 हटाना :- मूल अधिनियम की धारा 127 हटायी जाएगी।

18. धारा 128 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्

“(5) आयुक्त इस धारा के अन्तर्गत उसे अधिसूचित प्रत्येक अंतरण या हस्तान्तरण या पाता अपनी ज़मीन में या नगर निगम की कर निर्धारण बही में दर्ज करेगा :

शर्त यह है कि पात्रता का ऐसा अंतरण या हस्तान्तरण अभिलेखबद्ध करते समय आयुक्त अपने आपको संतुष्ट करेगा कि धारा 147 के अन्तर्गत संपत्ति के अंतरण पर उगाहे जाने वाले शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।”

19. धारा 131 हटाना :- मूल अधिनियम की धारा 131 हटायी जाएगी।

20. धारा 132 हटाना :- मूल अधिनियम की धारा 132 हटायी जाएगी।

21. धारा 133 हटाना :- मूल अधिनियम की धारा 133 हटायी जाएगी।

22. धारा 134 हटाना :- मूल अधिनियम की धारा 134 हटायी जाएगी।

23. धारा 147 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (2) में तालिका के नीचे खंड (ख) में तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाएगी, अर्थात्;

(vi) अचल संपत्ति के अंतरण के के लिये संविदा	“संविदा में उल्लिखित अंतरण के लिये प्रतिल मूल्य का नब्बे प्रतिशत”
--	--

24. धारा 152 के लिए प्रतिस्थापना हेतु नई धाराएं: मूल अधिनियम में धारा 152 के लिए निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामांका-

“152. करों के भुगतान का समय एवं विधि : (1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान से बचाकर, इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान ऐसी तिथियों, ऐसी किस्तों की संख्या में और ऐसे ढंग से किया जाएगा जैसा कि इस संबंध में उप नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि, दि.न.नि. (संशोधित) अधिनियम, 2003 के लागू होने पर, दि.न.नि. (संशोधित) अधिनियम, 2003 के लागू होने से तुरंत पूर्व यहां पर सम्पत्ति कर की राशि में कोई बढ़ोतरी है जिसका भुगतान किया जा रहा था अथवा भुगतान किया जाना था, सम्पत्ति कर की राशि में अंतर भुगतान किए जा रहे अथवा भुगतान योग्य कर का पचास प्रतिशत से अधिक को, तीन द्वारा सम्पत्ति कर में ऐसी बढ़ायी गई राशि को भाग करके तीन वर्ष की अवधि में पूरी होने वाले स्तरों द्वारा प्रभावी किया जाएगा, दि.न.नि. (संशोधित) अधिनियम, 2003 के लागू होने से तुरंत पूर्व भुगतान किए जा रहे सम्पत्ति कर की राशि जोड़ कर उद्धृत किया जाएगा और सम्पत्ति कर राशि जो कि क्रमशः ऐसे जोड़ने के बाद बकाया दो पूर्ववर्ती में भुगतान किया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत देय सम्पत्ति कर भुगतान करने में असफल रहता है:-

(ए) धारा 123 बी की उप धारा (3) में निर्धारित ऐसे कर की तिथि अथवा

(बी) कर का बकाया, ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, और गत वित्त वर्ष के 31 मार्च तक कर के रूप में अन्य राशि;

वे प्रत्येक मास अथवा देय तिथि के समाप्त होने अवधि को जोड़ कर मास के बकाया भाग, वारस्तविक भुगतान की गई राशि की तिथि तक, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के भुगतान के पात्र होंगे।

152 ए: सम्पत्ति कर के भुगतान में जानबूझ कर बकाया, निर्धारण की रिटर्न में गलत सूचना प्रस्तुत करने इत्यादि हेतु दण्ड:-

जो कोई भुगतान में जानबूझ कर गलती करता है अथवा किसी कर बचाने के लिए किसी ढंग से जान बूझ कर कोशिश करता है जिसमें देय ब्याज की राशि और इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना अथवा निर्धारण के लिए रिटर्न में गलत सूचना प्रस्तुत करता है अथवा सम्पत्ति कर की रिटर्न को देय तिथि पर प्रस्तुत करने में जानबूझ कर असफल रहता है अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी अन्य दण्ड प्रावधान के पूर्वाग्रह के जिसके वे योग्य हो, दण्डित किया जाए:

(ए) उस मामले में जहां कर वचन की राशि दस लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास की अवधि जो कि तीन मास से कम नहीं होगी लेकिन सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कर वचन की राशि से पचास प्रतिशत से कम तक जुर्माना न हो सहित और

(बी) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास की अवधि एक मास से कम नहीं होगी बल्कि तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और कच-वचन राशि के न्यूनतम पचास प्रतिशत अर्थ-दण्ड के साथ होगी।

बशर्ते कि इस प्रकार का लगाया गया अर्थ-दण्ड उसके अतिरिक्त होगा तथा जो दोषी द्वारा भुगतान किया जाना या उस कर के भुगतान से संबंधित किसी देयता के अल्पिकरण में न हो।

25. धारा 153 में संशोधन: मूल अधिनियम में धारा 153 में उप-धारा (1) में खण्ड (क) को धारा (कक) के रूप में पुनर्अंकित किया जाएगा और इससे पहले धारा (कक) को इस प्रकार पुनर्अंकित किया जाए निम्न धारा को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा।

(क) "खाली जमीन और किसी भवन के आच्छादित स्थल के स्वयं-निर्धारण पर देय सम्पत्ति कर—"

26. नई धारा 156 ए को जोड़ना :- मूल अधिनियम में धारा 156 के बाद निम्न धारा सामता इस प्रकार जोड़ी जाएगी:-

"156 क: सम्पत्ति कर की वसूली: यदि दि.न.नि. (संशोधित) अधिनियम, 2003 के प्रभाव में आने के बाद किसी भी खाली भूमि आवा भवन आच्छादित क्षेत्र का कोई स्वामी अथवा सम्पत्ति कर भुगतान करने योग्य कोई अन्य व्यक्ति अथवा कोई अधिभोगी किसी ऐसे स्वामी अथवा व्यक्ति की अनुपस्थिति में दि.न.नि. (संशोधित) अधिनियम, 2003 के प्रभावी हो जाने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर अपनी स्वयं निर्धारण विवरणी जमा नहीं करता अथवा सम्पत्ति कर भुगतान करने का पात्र व्यक्ति निश्चित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करता तो ऐसी राशि आठवीं अनुसूची में आगे निर्धारित प्रपत्र पर जारी वारंट के अंतर्गत सभी लागत एवं दण्ड सहित वसूला जाएगा अथवा इसके लिए चूक-कर्ता की अचल सम्पत्ति की जब्ती अथवा बिक्री भी की जा सकेगी।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत अपील किए जाने पर जमा की गई किसी भी राशि की आयुक्त उगाही नहीं करेगा:

27. धारा 164 को समाप्त करना: मूल अधिनियम में धारा 164 हटायी जाएगी
28. धारा 165 को समाप्त करना: मूल अधिनियम में धारा 165 हटायी जाएगी
29. धारा 166 को समाप्त करना: मूल अधिनियम में धारा 166 हटायी जाएगी
30. धारा 167 को समाप्त करना: मूल अधिनियम में धारा 167 हटायी जाएगी
31. धारा 168 को समाप्त करना: मूल अधिनियम में धारा 168 हटायी जाएगी

32. नई धारा 169 का प्रतिस्थापन: मूल अधिनियम में धारा 169 के लिए निम्न धारा को नामता इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"169 : कर निर्धारण आदि के विरुद्ध अपील:- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कर के लगाने अथवा निर्धारण अथवा निर्धारण में संशोधन के विरुद्ध कोई भी अपील इस धारा के अंतर्गत गठित नियम काराधान पंचाट के समक्ष की जाएगी:-

बशर्ते कि कोई भी अपील दायर करने से पूर्व सम्पत्ति कर की कुल राशि जमा करानी होगी।

बशर्ते कि दिल्ली के जिलाधीश की स्वीकृति से निगम काराधान पंचाट किसी ऐसे मामले को अपने हाथ में ले सकती है जिससे संबंधित अपील उस जिलाधीश में लंबित पड़ी हो।

तथा बशर्ते ऐसे जिलाधीश के न्यायालय में लंबित किसी अपील को निगम काराधान पंचाट के पास निपटान के लिए अंतरित कर दिया जाएगा यदि आवेदक द्वारा वार्षिक मूल्य के आधार पर उसके निपटान का अनुरोध किया गया हो।

(2) (क) सरकार एक अध्यक्ष के आधीन और ऐसे सदस्यों के साथ जिन्हें सरकार निर्धारित करे तक निगम काराधान पंचाट का गठन करेगी:-

शर्त यह है कि सरकार की अनुशंसा पर अध्यक्ष तक या अधिक पीठों को गठन कर सकता है प्रत्येक पीठ में दो सदस्य होंगे जिनमें से एक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की उच्च न्यायायिक सेवा का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य उच्च प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा तथा किसी भी अपील को निपटान के लिए ऐसी पीठ को अंतरण कर सकता है अथवा उसके अंतिम रूप से निपटान के पूर्व ही किसी अपील को किसी पीठ से वापस ले सकता है।

(ख) निगम काराधान पंचाट का अध्यक्ष तथा कम से कम आधे सदस्य वे लोग होंगे जो किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की उच्च न्यायायिक सेवा के न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो अथवा वर्तमान में हो तथा शेष सदस्य यदि कोई हो तो वे ऐसी अहर्ता एवं अनुभवधारी हो जो सरकार नियमों के द्वारा निर्धारित करें।

(ग) निगम काराधान पंचाट के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि अथवा तब तक के लिए की जाएगी जब तक कि वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते इनमें से जो भी पहले हो।

- (घ) निगम काराधान पंचाट के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की अन्य नियम एवं शर्तें वेतन और भत्ते सहित वैसी ही होगी जैसाकि सरकार नियमों के द्वारा निर्धारित करें।
- (ङ) निगम काराधान पंचाट के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निगम कोष से किया जाएगा।
- (3) सभी अपीलों के मामलों में लागत निगम काराधान पंचाट अथवा उसकी पीठ, यदि कोई हो, के स्वविवेक के अनुसार होगी।
- (4) निगम को इस धारा के अन्तर्गत दी गई गयी कॉस्ट निगम द्वारा आवेदक से देय कर की बकाया के रूप में निगम द्वारा वसूली जाएगी।
- (5) यदि निगम इसके भुगतान के लिये आदेश की तिथि से दस दिन के भीतर किसी आवेदन को अधिनिर्णित लागत का भुगतान करने में विफल रहता है, तो निगम काराधान पंचाट आयुक्त को आवेदक को लागत का भुगतान करने के लिये आदेश दे।

33. धारा 170 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 170 के खंड (क) के परन्तुक में शब्द "न्यायालय" के स्थान पर शब्द "निगम काराधान पंचाट" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

34. धारा 171 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 171 के परन्तुक के शब्द "न्यायालय" के स्थान पर शब्द "निगम काराधान पंचाट" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

35. नयी धारा 172 क का समावेशन :- मूल अधिनियम की धारा 172 के पश्चात् निम्नलिखित धारा समावेश की जाएगी, अर्थात् :-

172 क संपत्ति कर के लागू करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की शक्ति :- (1) आयुक्त, इस संबंध में निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी उपविधियों के अधीन निगम, अथवा किसी अधिसूचित बैंक या किसी व्यक्ति या अन्य अभिकरण द्वारा मान्यता किसी प्राप्त नागरिक कल्याण एसोसिएशन को नियुक्त कर सकते हैं,

- (क) धारा 124 के अन्तर्गत कर निर्धारण बही का रख-रखाव;
- (ख) कर इकट्ठा करके निगम के पास जमा कराना, तथा
- (ग) स्थायी समिति के किसी संकल्प से उन्हें सौंपे गए ऐसे कार्यों का निष्पादन करना।

- (2) ऐसी नागरिक कल्याण एसोसिएशन बैंक या व्यक्ति या अन्य एजेंसी को निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी उपविधियों द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसे संग्रहण प्रभारों का भुगतान करेगा।

36. बारहवीं अनुसूची का संशोधन :- मूल अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में, (1) धारा 131 से सम्बद्ध प्रविष्टि हटाई जाएगी (2) धारा 168 से सम्बद्ध प्रविष्टि हटाई जाएगी।

१०/०५/२०२५

उप सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य